ग्रीन रिवोल्ट

हरित-नीरा रहे वसुंधरा

पेजः 4

लाल कानों वाला विदेशी कछुआ बना देशी नस्लों के लिये खतरा

रविवारीय, 15 - 21 अगस्त 2021 वर्ष- दो, अंक - 54, रांची, कुल पृष्ठ 4 हिन्दी साप्ताहिक R.N.I. No. JHAHIN/2019/78094 www.greenrevolt.news मूल्यः 5 रूपये

ग्रीन रिवोल्ट के सुधि पाठकों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आइये इस स्वतंत्रता दिवस पर हम अपनी धरती को सदा हरित और नीरा बनाये रखने का संकल्प लें।

जय हिंद

ग्रीन रिवोल्ट के पाठकों से आग्रह है कि आप पर्यावरण, कृषि, जल संरक्षण, पशुपालन, बागवानी , पेट्स, वृक्षारोपण से संबंधित खबरें, समस्यायें, लेख,सुझाव, प्रतिक्रियायें या तस्वीरें हमें अवश्य भेजें। हमारा इमेल एवं हवाट्सएप नंबर है।

greenrevolt2019@gmail.com

9798166006

चुनौतियों के बीच अनवरत जारी है ग्रीन रिवोल्ट की संघर्षयात्रा

15 अगस्त 2021: ग्रीन रिवोल्ट का दूसरा स्थापना दिवस

वर्ष 2019 के 15 अगस्त के दिन ही रांची प्रेस क्लब में एक बिल्कुल ही सादे कार्यक्रम में ग्रीन रिवोल्ट का विमोचन हुआ था। आज ग्रीन रिवोल्ट झारखंड से प्रकाशित एकमात्र पर्यावरणीय साप्ताहिक अखबार है। कुछेक पर्यावरणप्रेमी मित्रों, जल संरक्षक मित्र रथिन भद्रा , सदैव हमारा मार्गदर्शन करने वाले वरिष्ठ पत्रकार एन .के.मुरलीधर के प्रोत्साहन ने हमें ग्रीन रिवोल्ट को यहां तक पहुंचाने में ऊर्जा का काम किया।

पर्यावरण जैसे विषय पर झारखंड से अखबार प्रकाशित करने के हमारे प्रयास को सराहा गया , पर हमें यह भान भी था कि तेजी से सिमट रहे प्रिंट मीडिया और डिजिटल वेब जर्नलिज्म के इस दौर में पर्यावरण, कृषि, प्रदूषण जैसे विषय पर अखबार प्रकाशित करना कोई सरल काम नहीं होगा?फिर भी ग्रीन रिवोल्ट की हमारी टीम विज्ञापनों के मोह से विमुख होकर अखबार के लिये समर्पित रही ।

15 अगस्त 2021 के दिन हम दो साल के संघर्ष भरे यात्रा को पूरा कर रहे हैं। इस दरम्यान हमने कई चुनौतियों का सामना किया। आर्थिक संकटों के कारण रंगीन प्रकाशन में समस्यायें तक आती रहीं, कोरोना ने आर्थिक संकट बढ़ाकर ग्रीन रिवोल्ट के सामने बड़ी चुनौतियां पेश की। लेकिन हमने सभी चुनौतियों से जूझते हुये ग्रीन रिवोल्ट को पाठकों तक अनवरत पहुंचाना जारी रखा। इसमें आप पाठकों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है जिन्होंने अन्य अखबारों से अलग विषयक हमारे अखबार को इतना स्नेह दिया। यही कारण है कि हमने इसे जिम्मेदारी समझ ग्रीन रिवोल्ट में केवल रूचिकर, जानकारीयुक्त ठोस सामग्रियों को स्थान दिया। बदलते वैश्विक पर्यावरण, वन संरक्षण, जल संरक्षण, कृषि, खतरनाक होते प्रदूषण, स्वास्थ्य, पशु अधिकार जैसे विषय सदैव हमारे केंद्र में रहे।

बड़े दैनिक अखबारों के होड़ के बीच हमने अपना एक खास स्थान बनाया है तो वह ग्रीन रिवोल्ट टीम के परिश्रम और आप पाठकों के स्नेह से है।

संपादकीय में हमने एक नयी परंपरा शुरू की जिसमें संपादकीय विषय को संपूर्ण करने के लिये लेख के नीचे उससे संबंधित कार्टून प्रकाशित किया। जिसे आप सबों ने बहुत सराहा। आज उसी का परिणाम है कि रांची के बड़े दैनिक समाचार पत्रों में भी पर्यावरण संबंधी विषयों पर समाचारों की बाढ़ सी आ गयी है और अखबारों से लुप्त हो रहे पर्यावरणीय कार्टून फिर से प्रकाशित होने लगे हैं। ग्रीन रिवोल्ट के कारण पर्यावरण ,वन जल संरक्षण की प्रवृति बढी है। यही हमारी सफलता भी है और संतुष्टि भी।

झारखंड की बेटियों का सम्मान, चेहरे पर मुस्कान

झारखंड मंत्रालय में आयोजित सम्मान समारोह में टोक्यो ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी सलीमा टेटे और निक्की प्रधान को मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने50 - 50 लाख रुपए का चेक, स्कूटी, लैपटॉप और स्मार्ट फोन प्रदान कर सम्मानित किया

वनोपज को मिलेगा बढ़ावा, बाजार और उचित मूल्य की होगी व्यवस्थाः मुख्यमंत्री

संवाददाता

रांची : विश्व आदिवासी दिवस 2021 के अवसर पर आयोजित बिरसा किसान के सम्मान मेंमुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में पारंपारिक आय के साधनों में कमी आयी है। कमियों और खामियों की वजह से ग्रामीण किसान वनोपज जैसे आय के स्रोतों को धीरे-धीरे छोड़ते चले आए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि लाह, सिल्क इत्यादि चीजों का उत्पादन झारखंड राज्य में सबसे अधिक होता है परंतु इन संपदाओं का पूरा लाभ हमें नहीं मिल पाता है। हमारे किसान भाई मेहनत करते हैं और फल दूसरे लोग खा रहे हैं। प्रकृति ने हमें यहां के जंगलों में जो चीजें दी थी उससे हमारे किसान आर्थिक रूप से मजबूत थे परंतु समय के साथ-साथ चीजें बदलती गई और आज हम प्रकृति से मिले संसाधनों को आय का स्रोत नहीं बना पा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार वनोपज हेतु व्यवस्था दुरुस्त करने में लगी है। किसानों को वनोपज के लिए बाजार और उचित मूल्य उपलब्ध हो सके इस निमित्त प्रतिबद्धता के साथ कार्य किए जा रहे हैं। जल्द ही बन उपज के विस्तार के लिए फेडरेशन बनाए जाएंगे।

खेत किसानों का बैंक और पशुपालन एटीएम

मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के किसानों एवं खेतिहर मजदूरों के लिए खेत उनका बैंक और पशुधन एटीएम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की आबादी का बड़ा हिस्सा जो किसान के रूप में है वे अपने खेती-बारी से ही जीवन यापन करते हैं। पशुपालन तथा पशुधन उनके लिए आय का सरल साधन है।

ग्रामीण लोगों के लिए कुछ वर्ष पहले तक पशुधन ही पूंजी हुआ करती थी परंतु धीरे-धीरे यह पूंजी कहां गायब हो गई यह समझ पाना बहुत ही मुश्किल है। एक समय ऐसा था जब लोग गांवों में झुंड के झुंड जानवर लेकर चराने के लिए जाया करते थे ऐसी तस्वीरें अब देखने को नहीं मिल रही हैं। पशुधन जैसे आय के स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार ने पशुपालन पर विशेष बल दिया है। ग्रामीण किसान एवं खेतिहर मजदूर भाईयों को सब्सिडियरी पर पशु एवं पशु शेड उपलब्ध कराए जा रहे हैं। हमारा संकल्प है। पशुपाल, मुर्गी पालन,अण्डा उत्पादन, मछली उत्पादन इत्यादि को सरकार बढ़ावा दे रही है।

योजनाओं का लाभ अवश्य लें किसान

हेमन्त सोरेन ने किसानों से अपील किया कि वे राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का पूरा लाभ लें। राज्य के 2 लाख किसानों के बीच 734 करोड़ की योजनाओं का वितरण किया जा रहा है। किसान क्रेडिट कार्ड में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। किसानों को पशुधन से जोड़ा जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान एवं खेतिहर मजदूर भाईयों के हित को देखते हुए कई महत्वाकांक्षी योजनाएं चलायी जा रही हैं।

किसानों को बिरसा किसान के नाम से जाना जाएगा

राज्य के किसान मजबूत होंगे तभी राज्य मजबूत होगा। हम सभी लोग राज्य के किसान भाईयों को सम्मान देने का कार्य कर रहे हैं। आज से झारखंड के किसानों को बिरसा किसान के नाम से जाना जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रकृति ने हमारे राज्य को खनिज संपदाओं के भंडार के रूप में हमें कई चीजें दी है। इन खनिज संपदाओं का सदुपयोग बेहतर तरीके से हो तो हमारे गरीब किसानों को आर्थिक मजबूत तथा स्वावलंबी बनाया जा सकेगा।

2019-20 की तुलना में वायु गुणवत्ता में सुधारः अश्विनी चौबे

एजेंसियां : केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने लोकसभा में बताया कि 132 शहरों के वायु गुणवत्ता आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि अधिकांश शहरों में 2019-20 की तुलना में वायु गुणवत्ता में सुधार दिख रहा है।

चौबे ने बताया कि 36 शहरों के पीएम10 के परिवेशी वायु गुणवत्ता के आंकड़ों में 2019-2020 की तुलना में 2020-2021 में पीएम10 की सांद्रता में वृद्धि देखी गई है, जबकि 96 शहरों में यह घटा है यानी वायु गुणवत्ता में सुधार हुआ है। चौबे ने कहा कि 18 शहर 2019-20 में निर्धारित राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता के अंदर पाए गए, जो वर्ष 2020-21 में बढ़कर 27 हो गए हैं।

हारिण पूल बंद होने से ग्रामीणों को लगा 25 किमी का चक्कर

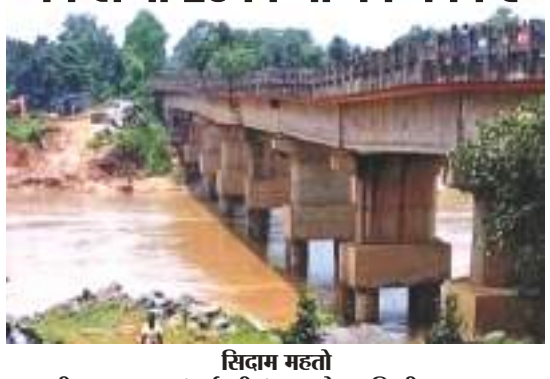

सिदाम महतो

- **ग्रामीण एडरमहातू(डाईनडीह) पुल से 25 किमी घूम कर कर रहे हैं आना जाना**
- **शिक्षक परेशान, बायोमेट्रिक्स से उपस्थिति दर्ज करानी होती है**
- **हाराडीह पुल की तरह अवैध बालू खनन से कमजोर हुआ पुल**

रांची : सोनाहातु प्रखण्ड के पुर्वी क्षेत्र मे हारिण पूल के क्षतिग्रस्त होने के कारण , इस क्षेत्र के छात्र, छात्रा,शिक्षक, शिक्षिका, आम लोगों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। विगत दिनों कांची नदी पर बने हारिण पुल के क्षतिग्रस्त होने से प्रशासन ने पुल को बंद कर दिया है। लोग एडरमहातू(डाईनडीह) पुल से होकर आवागमन कर रहे हैं । इससे 25 किलोमीटर अतिरिक्त दूरी तय करना पड़ रहा है। इस पुल के बन्द हो जाने से शिक्षा जगत भी प्रभावित हुआ है।

इस क्षेत्र में अध्यापन कार्य से जुड़े शिक्षकगण को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। विभाग द्वारा जारी बायोमैट्रिक प्रणाली से उपस्थिति ससमय विद्यालय पहुंचने की जदोजहद के बीच खराब सड़क से दुर्घटना का शिकार बन रहे हैं। एडरमहातू(डाइनडीह) रास्ते की स्थिति अत्यंत जर्जर व भयावह है । कुछ दिन पहले राजकीय मध्य विद्यालय सावडीह की एक शिक्षिका का इसी रास्ते में दुर्घटना हो गई । इस तरह आये दिनो दुर्घटना की संख्या बढ़ती जा रही है। इस गम्भीर समस्या को लेकर 11 अगस्त को इस क्षेत्र के शिक्षकों कि एक ऑनलाइन बैठक झारखंड प्लस टू शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष संतोष कुमार महतो की अध्यक्षता में हुई और शिक्षा विभाग से मांग की गई कि बायोमैट्रिक प्रणाली को कुछ दिनों के लिए विराम (निरस्त) कर दिया जाए । पुल बंद होने के कारण पूर्वी क्षेत्र के सैकड़ों छात्र जो एसएस हाई स्कूल सोनाहातु पढ़ाई के लिए जाते हैं बुरी तरह से प्रभावित हो गए हैं । इसी नदी पर बने हराडीह - बुढाडीह घाट और बामलाडीह पर करोड़ों की लागत से बने पुल ध्वस्त हो चुके हैं। जानकारी के अनुसार, कांची नदी में अवैध बालू खनन अब भी जारी है। एनजीटी के रोक के बावजूद, कांची नदी के बुंडू स्थित सुटीलौंग घाट में अवैध रेत खनन जारी है।

देश में पशु चिकित्सकों की कमी को दूर करना है आवश्यक

विवेक मिश्रा

देश में 5 लाख से ज्यादा पशु चिकित्सकों की कमी के बीच लगातार बढ़ रहा एएमआर और जूनोटिक डिजीज का खतरा देश में पशु चिकित्सकों की बड़ी कमी के बीच पशुओं से इंसानों में पहुंचने वाले रोगों की तादाद न सिर्फ बढ़ रही है बल्कि एंटी माइक्रोबियल रजिस्टेंस जैसी समस्या भी बड़ी हो गई है।

देश में पशु चिकित्सकों और डिस्पेंसरी की बड़ी कमी के बीच जानवरों से इंसान में होने वाले रोग (जूनोसिस) और उनके उत्पादों में एंटीबायोटिक की मौजूदगी इंसानों की सेहत के लिए खतरे का सबब बन रही है। ऐसे में पशुपालन और डेयरी से संबंधित स्थायी संसदीय समिति ने सरकार को गंभीरता से एक समग्र दृष्टि वाले समाधान को अपनाने का सुझाव दिया है। स्थायी समिति ने 05 अगस्त, 2021 को "स्टेटस ऑफ वेटरिनरी सर्विसेज एंड अवेलिबिलिटी ऑफ एनिमल वैक्सीन इन द कंट्री" नामक रिपोर्ट पेश की। स्थायी समिति ने देश में पशु चिकित्सकों की बड़ी कमी पर भी चिंता जाहिर की है।

देश में इस वक्त गाय और भैसों की कुल आबादी करीब 30 करोड़ की है। वहीं, 25 करोड़ के आसपास भेड़, बकरियां और सुअर भी हैं और इसके अलावा पोल्ट्री आबादी भी है। नियम के मुताबिक देश में प्रत्येक पांच हजार की आबादी पर एक पशु चिकित्सक और डिस्पेंसरी की जरूरत है। इस हिसाब से अभी देश में 5 लाख, 45 हजार पशु चिकित्सक या डिस्पेंसरी की कमी बनी हुई है। वहीं, समिति ने रिपोर्ट में कहा है कि जूनोसिस को रोकने और जानवरों से मिलने वाले खाद्य उत्पादों की सुरक्षा को बढ़ाने के साथ एंटी माइक्रोबियल रजिस्टेंस (एएमआर) पर भी सरकार को ध्यान देना होगा। साथ ही विभिन्न मंत्रालयों और विभागों को इस दिशा में मिलकर काम करना चाहिए। खासतौर से पोल्ट्री फॉर्म में होने वाले एनमिल ड्रग के दुरुपयोग और कुप्रभाव को लेकर अध्ययन भी किया जाना चाहिए। स्थायी समिति ने कहा कि वन हेल्थ कान्सेप्ट के तहत और नेटवर्क प्रोग्राम ऑन एंटीमाइक्रोबियल रजिस्टेंस (एएमआर) इन फूड, एनिमल्स एंड एक्वाकल्चर के तहत जो भी दिशा-निर्देश दिए गए हैं उनका गंभीरता से पालन किया जाना चाहिए। समिति ने गौर किया है कि जानवरों में होने वाले रोगों की रिपोर्टिंग और सूचना के लिए दो केंद्रीय कानून मौजूद हैं। पहला द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ इंफेक्शियस एंड कंटेजियस डिजी इन एनिमल एक्ट 2009 और दूसरा लाइवस्टॉक इमपोर्टेशन एंक्ट 1898 है। ऐसे में तेजी से प्रसार करने वाले रोगों और सीमा पार से आने वाले रोगों के साथ खरीद- फरोख्त आदि को लेकर सरकार को वेटरिनरी सर्विसेज के लिए कुछ और ठोस कानून बनाने चाहिए।

समिति ने आधुनिक रासायनिक दवाइयों की जगह बीमारियों में पारंपरिक दवाइयों के इस्तेमाल को बढ़ाने पर जोर देने के लिए है। वहीं, सरकार ने अपने जवाब में समिति को बताया है कि इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। आयुष मंत्रालय के साथ मिलकर आर्युवेदिक दवाओं के इस्तेमाल को लेकर भी प्रयास की बात कही गई है। हालांकि, स्थायी समिति ने कहा कि मौजूदा वक्त में किए जा रहे प्रयास नाकाफी हैं। ऐसे में ठोस प्रयास किए जाने की जरूरत है।

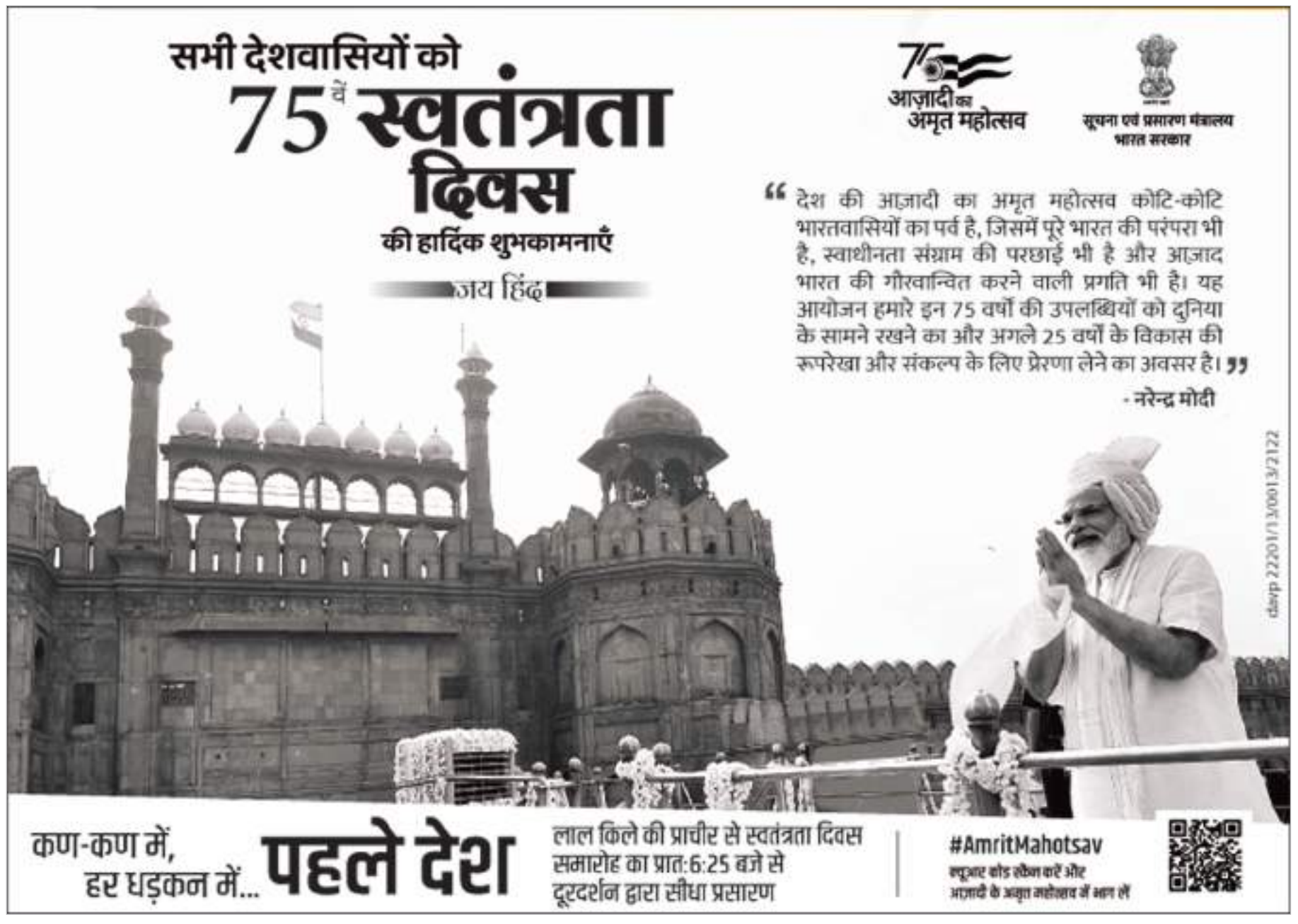

तिरंगे के रंगों को चरितार्थ करने की आवश्यकता

हमारा तिरंगा राष्ट्रध्वज केसरिया सफेद और हरे रंग से मिल कर बना है। विश्व के किसी कोन में रह रहा भारतीय इस तिरंगे को देखते ही खुद को भारतीय अस्मिता से जोड़ लेता है। हमारे तिरंगे का यही सबसे विलक्षण गुण है। 15 अगस्त 1947 को देश की आजादी के बाद सर्वसम्मति से बनाये गये इस तिरंगे में बस यूं ही केसरिया, सफेद और हरा रंग नहीं है। बल्कि तीनों रंगों का अपना एक विशिष्ट गुण है। जहां सबसे ऊपर केसरिया त्याग और बलिदान का रंग है वहीं बीच में सफेद रंग न्याय का प्रतीक है। नीचे हरा रंग देश की हरियाली, खुसबसूरत वनों एवं समृद्ध कृषि का प्रतीक है।

परन्तु आज बढ़ती आबादी, विकास की रफ्तार और भौतिक सुख सुविधाओं की चाह में हमने सबसे ज्यादा नुकसान पर्यावरण और हरियाली का ही किया है। हालांकि यह समस्या वैश्विक है। अमेजन के जंगलों से लेकर अमेरिका, अफ्रीका और एशिया के घने जंगलों का तेजी से विनाश हुआ है। हाल के महिनों में विश्व के कई जंगलों में आग लगने की घटनायें सामने आयी हैं जिसमें प्राणदायी हरियाली की बर्बादी चिंता का विषय बनी हुयी है। किसी भी देश में कम से कम 35 प्रतिशत भूमि पर वनों और हरियाली का आच्छादन होना आवश्यक माना गया है, लेकिन यह दुर्भाग्य की बात है कि विश्व के कई देशों समेत भारत में भी ऐसा नही है। हम विकास और निर्माण के नाम पर वनों का तेजी से विनाश कर रहे हैं। सड़कों के चौड़ीकरण से लेकर उद्योगों और आवासीय परिसरों के निर्माण के लिये बिना कोई विकल्प को सोचे सीधे घनी हरियाली को उजाड़ देते हैं। ये वो वन या बाग बगीचे हैं जो कई दशकों में तैयार होते हैं जिन्हें कुछ ही मिनटों में सिस्टम का गठजोड़ गर्जना करते मशीनों से काट कर खत्म कर चल देता है।

हाल के कुछ समय में लोगों में चेतना जगी है। अपनी ही करनी को भुगतने के बाद लोग अब हरियाली और वनों का महत्व समझ रहे हैं। ऐसे में आइये देश में हरियाली को बचाने और बढ़ाने में हम सभी अपना योगदान दें ?तभी तो तिरंगे के हरे रंग को हम चरितार्थ करेंगे।

भारत के पूरे भूभाग के 25 प्रतिशत से भी कम क्षेत्र में वन हैं जबकि कम से कम 33 प्रतिशत भूमि पर वनों का होना आवश्यक है। वन एवं पर्यावरण विभाग अपने ताम झाम और वन विस्तार की योजनाओं के बावजूद वास्तव में हरियाली बचाने या इसके फैलाव में संतोषजनक कार्य नहीं कर पाया है। उल्टे पूरे देश भर में वनभूमि का उजड़ना और अतिक्रमण तेजी से हो रहा है।

हमारे नियम कानून भी बेतुके हैं। कहीं निर्माण के कारण उजाड़े गये वनों की भरपाई के लिये उसी इलाके में कहीं वृक्षारोपण आवश्यक कर दिया जाये तो हरियाली का फैलाव बराबर रहेगा, पर हालत है कि किसी उजाड़ इलाके के बचे खुचे वनों को खत्म कर किसी हरे भरे इलाके में ही वन लगाये जाते हैं। इससे हरियाली का असमान वितरण भी होता है।

उत्तराखंड: दरक रहे हैं हिमालय के सैकड़ों गांव

हिमालयी गांवों में रहना ख़तरनाक होता जा रहा है और आपदाओं की बढ़ती संख्या और मारक क्षमता के कारण कई गांव रहने लायक नहीं रहे। उत्तराखंड के चमोली में ऐतिहासिक रैणी गांव को सरकार द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ टीम ने असुरक्षित घोषित कर दिया है। इन गांवों से लोगों को हटाकर दूसरी जगह बसाना एक बड़ी समस्या है क्योंकि पहाड़ों में बसावट के लिये ज़मीन का अभाव है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी से करीब बीस किलोमीटर दूर कठिन पहाड़ी पर बसा है एक छोटा सा गांव: ढासड़ा। कोई 200 लोगों की आबादी वाला ढासड़ा पिछले कई सालों से लगातार दरक रहा है। हालात ऐसे कि मॉनसून या खराब मौसम में यहां लोग रात को अपने घरों में नहीं सोते बल्कि गांव से कुछ किलोमीटर ऊपर पहाड़ी पर छानियां (प्लास्टिक के अस्थायी टैंट) लगा लेते हैं क्योंकि पहाड़ से बड़े-बड़े पत्थरों के गिरने और भूस्खलन का डर हमेशा बना रहता है। इसलिये जब लोग जान बचाकर ऊपर पहाड़ी पर भागते हैं तो रात के वक्त गांव में बहुत बीमार या बुजुर्ग ही रह जाते हैं क्योंकि वह पहाड़ पर नहीं चढ़ सकते।

असुरक्षित गांवों की लम्बी लिस्ट : उत्तराखंड में ढासड़ा अकेला ऐसा गांव नहीं है। बल्कि यहां सैकड़ों ऐसे असुरक्षित गांव हैं जहां से लोगों को हटाया जाना है और ये बात सरकार खुद मानती है। ढासड़ा से कुछ दूर स्थिति भंकोली गांव की रहने वाली मनीता रावत कहती हैं कि यहां कई गांवों में खौफ है। भंगोली के ऊपर पहाड़ काट कर सड़क निकाली हुई है लेकिन अवैज्ञानिक तरीके से हुये निर्माण का खमियाज़ा गांव के लोगों को भुगतना पड़ रहा है।उत्तरकाशी ज़िले का धांसड़ा गांव उन संकटग्रस्त गांवों में है जहां से लोगों को हटाने की सलाह विशेषज्ञ दे चुके हैं। ''कुछ साल पहले सरकार ने उत्तराखंड में 376 संकटग्रस्त गांवों की लिस्ट बनाई जहां से लोगों को तुरंत हटाया जाना चाहिये लेकिन असल में इन गांवों की संख्या कहीं अधिक है।''सरकारी अधिकारी मानते हैं कि दो दर्जन से अधिक 'असुरक्षित' गांव तो चमोली ज़िले में ही हैं जिन पर आपदा का ख़तरा बना रहता है। यहां इस साल फरवरी में ऋषिगंगा नदी में बाढ़ आई तो इसके किनारे बसे रैणी झ्र जो पहले ही असुरक्षित माना जाता था झ्र में लोग गांव छोड़कर ऊपर पहाड़ों पर चले गये।

एक चौथाई उत्सर्जन से निपटना सबसे कठिन: आईपीसीसी

दयानिधि

रिपोर्ट में कहा गया है कि यदि हमें नेट जीरो उत्सर्जन हासिल करना है तो कृषि, प्लास्टिक, सीमेंट, और अपशिष्ट से होने वाले अंतिम 25 फीसदी उत्सर्जन से निपटना ही होगा

जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल यानी इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज (आईपीसीसी) की नई रिपोर्ट में कहा गया है कि इस सदी में तापमान तभी 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहेगा जब उत्सर्जन 2050 तक शून्य होगा। दुनिया भर में बिजली, परिवहन और गर्म करने के उपकरण 80 फीसदी ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के लिए जिम्मेवार है। यहीं वो चीजें हैं जो शून्य (नेट जीरो) उत्सर्जन हासिल करने के आड़े आने वालों में सबसे आगे हैं। हालांकि नेट जीरो तक पहुंचने का अर्थ है 20 फीसदी तक पहुंचना, रिपोर्ट में कहा गया है कि इस उत्सर्जन से निपटना बहुत मुश्किल है।

कृषि, प्लास्टिक, सीमेंट, और अपशिष्ट से वातावरण में होने वाले उत्सर्जन को कम से कम 5 फीसदी अतिरिक्त कम किया जाना चाहिए। यह तय है कि इनसे हम आसानी से छुटकारा नहीं पा सकते हैं। इन सभी को 'अंतिम 25 फीसदी' के रूप में जाना जाता है। नेट जीरो को तब तक हासिल नहीं किया जा सकता हैं जब तक कि इनसे न निपटा जाए। यह ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जकों की एक श्रृंखला से बना हुआ है, जो प्रदूषण-बेल्चिंग-कार्बन-बर्निंग अथवा पावर स्टेशनों से निकलने वाले उत्सर्जन की तुलना में इनके उत्सर्जन को रोकना कठिन हैं। इस तरह के उत्सर्जन को एक बटन दबाकर या एक नई कार खरीदकर दूर नहीं किया जा सकता है। लेकिन ये सब मिलकर टनों ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन लिए जिम्मेदार हैं।

समस्याओं की जांच करने, नई चीजें अपनाने और नीतियों के सुझाव के लिए, ऑक्सफोर्ड के स्मिथ स्कूल ऑफ एंटरप्राइज एंड द एनवायरनमेंट ने 'अंतिम 25 फीसदी' प्रोजेक्ट से निष्कर्ष प्रकाशित किए है। परियोजना ने अग्रणी उद्योग, निवेशक, अकादमिक, नागरिक समाज और नीतिगत विशेषज्ञता में निवेश के रोडमैप तैयार करने के लिए बुलाया ताकि हमें प्रौद्योगिकी के साथ नेट जीरो हासिल करने का मौका मिल सके।

ऑक्सफोर्ड के स्मिथ स्कूल ऑफ एंटरप्राइज एंड द एनवायरनमेंट के निदेशक, प्रोफेसर कैमरन हेपबर्न कहते हैं अगर हमें नेट जीरो हासिल करना है तो हमारी रिपोर्ट में पहचाने गए अंतिम 25 फीसदी उत्सर्जन से निपटना होगा। हालांकि, उन्हें कम करने या समाप्त करने का मतलब कुछ वास्तविक परिवर्तनों से है। यह सुनिश्चित करने के लिए अनुसंधान एवं विकास में महत्वपूर्ण निवेश की आवश्यकता है। रिपोर्ट में अंतिम 25 फीसदी से निपटने के लिए कई चुनौतीपूर्ण तरीकों पर विचार किया गया है, जिनमें शामिल हैं....

पौधों को उगाने के लिए या तो उत्पाद, कच्चा माल (फीडस्टॉक) के लिए या ग्रीनहाउस गैस हटाने के लिए अर्ध-शुष्क और लवणीय भूमि का उपयोग करना। यहां बताते चलें कि फीडस्टॉक - मशीन या औद्योगिक प्रक्रिया की आपूर्ति या ईंधन के लिए कच्चा माल है।

टिकाऊ पॉलिमर बनाने के लिए बायोमास और वायुमंडलीय सीओ2 का उपयोग करना। पौधों, कीड़ों और शैवाल सहित वैकल्पिक प्रोटीन को अपनाना, जो प्रकृति-आधारित ग्रीन हाउस गैस हटाने जैसी पर्यावरणीय सेवाओं के लिए उपयोग की जाने वाली जमीन को मुक्त कर देगा।

डॉ कैथरीन कोलेट कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए नवीकरणीय बिजली उत्पादन करना आवश्यक है। नेट जीरो तक पहुंचने के लिए, प्लास्टिक, प्रोटीन और पौधों के बीच की प्रणालियों को समझना महत्वपूर्ण हैं। रिपोर्ट इन प्रणालियों की संभावनाओं का विस्तार से पता लगाती हैं, जो शोध, नीति विकास, विनियमन और वित्तपोषण विकल्पों के लिए आगे का रास्ता बताती हैं। ऑक्सफोर्ड के इकनॉमिक रिकवरी प्रोजेक्ट के ब्रायन ओ'कैलाघन बताते हैं, 'कोविड-19 के चलते, हरित नवाचार में सरकारी निवेश जलवायु परिवर्तन को रोकने में मदद कर सकता है और लंबे समय में नए उद्योगों को आर्थिक विकास के पावर हाउस के रूप में खड़ा करने में मदद कर सकता है। उत्पादों में कार्बन की औद्योगिक आवश्यकता अब दुनिया भर के लोगों में पर्यावरण में प्लास्टिक की समस्या के बारे में काफी जागरूकता है। रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि पॉलिमर (प्लास्टिक), डामर, कार्बन फाइबर, फार्मास्यूटिकल्स, स्नेहक, सॉल्वैंट्स और उर्वरक सहित पेट्रोकेमिकल-आधारित सामग्री की आवश्यकता जल्दी समाप्त होने वाली नहीं है। इनका उपयोग आधुनिक आर्थिक और सामाजिक प्रणालियों में आवश्यक हैं। नेट जीरो तक पहुंचने के लिए नए तरीकों की जरूरत है।

विशेष रूप से, स्थायी प्लास्टिक के निर्माण के लिए समाधान की तत्काल आवश्यकता है, जो कि कच्चे माल (फीडस्टॉक) के रूप में तेल के साथ अत्यधिक उत्पादित किए जाते हैं। रिपोर्ट बताती है कि टिकाऊ कच्चा माल के विकल्पों में अनुसंधान को तेज करने की आवश्यकता है, साथ ही यह भी विचार करना कि उत्पाद के जीवन के अंत में क्या होगा, क्या इसे रीसाइक्लिंग या इसे नष्ट किया जा सकता है?

प्लास्टिक बनाने के लिए वैकल्पिक टिकाऊ कच्चा माल, जैसे बायोमास प्लांट और वातावरण से सीओ2 का उपयोग करना।

रीसाइक्लिंग के लिए उत्पादों को डिजाइन करके और वैकल्पिक रीसाइक्लिंग प्रौद्योगिकियों की जांच करके, रीसाइक्लिंग दरों में वृद्धि करना, जो ऐतिहासिक रूप से 10 फीसदी से कम रहा है। समय के साथ टिकाऊ पॉलिमर उत्पादन की आवश्यकता के लिए नीति को लागू करना, उद्योगों को समय के अनुसार नए उत्पादों के विकास और उनके वितरण के लिए अनुमति देना।

पशु उत्पादों का कुल ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन का 16 फीसदी हिस्सा है और इस-के 2050 तक 35 फीसदी तक बढ़ने के आसार हैं, पशु उत्पादों की मांग में वृद्धि के साथ, भारत और चीन जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं में इसके बढ़ने का अनुमान है। रिपोर्ट में पारंपरिक पौधों पर आधारित प्रोटीन (जैसे टोफू, नट्स, मटर, बीन्स), कीड़े, माइकोप्रोटीन (जैसे क्वार्न द्वारा उत्पादित उत्पाद), शैवाल (जैसे स्पिरुलिना), बैक्टीरिया से प्राप्त प्रोटीन सहित प्रोटीन के वैकल्पिक स्रोतों के उपयोग की सिफारिश की गई है। साथ ही लगभग शून्य उत्सर्जन हासिल करने के इन विकल्पों के उपयोग का मतलब है कि चराई भूमि को पारिस्थितिक रूप से बहाल किया जा सकता है और प्राकृतिक ग्रीन हाउस गैस को हटाने की सुविधा प्रदान की जा सकती है।

विशेषज्ञों के अनुसार, यदि इस तरह के उत्सर्जन को कम करना है, तो इस पर तत्काल शोध की आवश्यकता है: हरे अथवा पर्यावरण के अनुकूल उर्वरक और कृषि भूमि को प्रकृति आधारित ग्रीन हाउस गैस हटाने में परिवर्तित करने की क्षमता का मानचित्रण करना। सीओ2 के लिए प्रकृति आधारित 'सिंक' और कार्बन फीडस्टॉक के स्रोत बढ़ाना।

प्रकृति का उपयोग कार्बन अवशोषण के रूप में किया जा सकता है, जो वातावरण से उत्सर्जन को हटाता है, जिसे ग्रीनहाउस गैस निष्कासन कहा जाता है। पौधों के रूप में कार्बन-भारी फीडस्टॉक के स्रोत के रूप में उपयोग होता है। प्रकृति इन दो भूमिकाओं को कैसे पूरा कर सकती है, इसे समझने के लिए तीन मुख्य विकल्पों का पता लगाया जाता है। चराई भूमि के साथ-साथ हाल ही में वनों की कटाई वाले अन्य क्षेत्रों को वनों के फिर से उगने के लिए छोड़ा जा सकता है। जो एक और सीओ2 अवशोषण प्रदान करता है। इसके अलावा, मृदा कार्बन को बढ़ाया जा सकता है। एक और कार्बन सिंक प्रदान करने और संभावित रूप से फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए ऐसा किया जा सकता है।

'ग्रीन पावर' से राजस्थान के ओरण और गोडावण के अस्तित्व को खतरा

माधव शर्मा

सैकड़ों साल से सुरक्षित ओरण (चारागाह) को लेकर राजस्थान में स्थानीय लोग और ग्रीन एनर्जी कंपनियां आमने सामनें हैं। इन कंपनियों के खिलाफ लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। पक्षियों को पावर लाइन से होने वाले खतरे को देखते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने मार्च 2021 में देगराय ओरण में पावर कंपनियों को अंडर ग्राउंड पावर लाइन डालने का आदेश दिया।भारतीय वन्य जीव संस्थान ने 2020 में अपनी रिपोर्ट में हाइटेंशन पावर लाइनों को गोडावण के लिए बड़ा खतरा बताया है। इससे जैसलमेर क्षेत्र में हर साल करीब 83,000 पक्षियों के जान गंवाने का अनुमान लगाया गया है। *'ओरण उपजै औषधी, ओरण लाभ अनेक, ओरण बचावण आवसक, निश्चै कारज नैक।'* यानी ओरण के अंदर कई प्रकार की औषधियां उत्पन्न होती है। ओरण के अनेक लाभ हैं। ओरण को बचाना आवश्यक है और निश्चित रूप से यह एक नेक कार्य है।

कवि दीप सिंह भाटी ने ओरण यानी जंगल और चारागाहों का महत्व बताने के लिए 23 साल पहले ऐसे 31 दोहे लिखे जो आज भी स्थानीय लोगों के बीच काफी मशहूर है। इससे दिखता है कि स्थानीय लोगों के लिए ओरण के क्या महत्व हैं। ये लोग ओरण को अपने अस्तित्व से जोड़ कर देखते हैं। आज इसी ओरण को लेकर ग्रीन एनर्जी कंपनियां और स्थानीय लोग आमने-सामने हैं। एक तरफ कंपनियां इस क्षेत्र में पाए जाने वाले गोडावण यानी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को स्वच्छ ऊर्जा के विकास में रोड़ा बता रहीं हैं तो दूसरी तरफ ग्रामीणों का आरोप है कि यहां बीते डेढ़ साल से कई सोलर कंपनियां ओरण के मायने बदलने की ही कोशिश कर रही हैं। पावर कंपनियों के खिलाफ और ओरण को बचाने के लिए सांवता, भीमसर, दवाड़ा, रासला, अचला और आसपास 10-12 गांव के लोगों ने हाल ही में 60 किलोमीटर पैदल यात्रा कर पावर कंपनियों के खिलाफ जिला कलक्टर को ज्ञापन सौंपा।

इन ग्रामीणों का आरोप है कि कंपनियां सोलर पावर प्लांट के लिए ओरण के बीचों-बीच से हाइटेंशन पावर लाइन निकाल रही हैं। देगराय ओरण से गुजर रही पावर लाइन के खतरों को बताते हुए जैसलमेर जिले के सांवता गांव निवासी सुमेर सिंह भाटी कहते हैं, ''ओरण में सोलर कंपनी ने पावर लाइन की ऊंचाई सिर्फ बीस फीट ही रखी है। ऊंट की ऊंचाई 10 फीट और उस पर बैठे इंसान की करीब तीन फीट ऊंचाई होती है। ऐसे में हाइटेंशन पावर लाइन और उनके बीच की दूरी सिर्फ सात फीट रह जाती है। यह ऊंट और उनके पालकों की जान के लिए बेहद खतरनाक है। राजस्थान में सबसे ज्यादा ऊंट इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। मेरे पास करीब 400 ऊंट हैं। हमारी आजीविका इसी पर आधारित है।

ओरण के इतिहास के साथ-साथ पर्यावरण प्रेमी और स्थानीय निवासी पारथ जगाणी के अनुसार देगराय ओरण का इतिहास 602 साल पुराना है। उस वक्त के ताम्रपत्र के अनुसार संवत 1476 यानी साल 1419 में जैसलमेर के राजा विक्रमदेव अजमेर के पुष्कर में स्नान करने आए। यहां उन्होंने चंद्रमा और सूर्य को साक्षी मानकर अपनी रियासत जैसलमेर में देगराय मंदिर के चारों ओर 12 कोस (एक कोस में लगभग 3 किलोमीटर) भूमि को ओरण के रूप में दान कर दिया। दान की ये भूमि 60 हजार बीघा तय हुई। घोषणा कराई गई कि ओरण भूमि पर कोई हल नहीं जोतेगा। पेड़-पौधे नहीं काटेगा और ना ही जानवरों का शिकार किया जाएगा। ये जगह सिर्फ जानवरों को चराने के लिए काम में ली जाएगी।

पारथ आगे बताते हैं, ''ग्रामीण इस परंपरा को 602 साल से निभा रहे हैं। हमारे लिए इस ओरण की धार्मिक और सामाजिक मान्यता है। आज देगराय ओरण रेगिस्तान के बीचों-बीच एक घना जंगल है। इसमें घास के कई मैदान भी हैं। जहां सांवता, भीमसर, दवाड़ा, रासला, अचला और आसपास 12 गांव की सारे मवेशी चरते हैं। पारथ कहते हैं, ''बीते एक दशक से इस क्षेत्र में बाहरी कंपनियों और सरकार का दखल काफी बढ़ा है। कंपनियां यहां सोलर के बड़े-बड़े प्लांट स्थापित कर रही हैं। इसी तरह के एक प्लांट के लिए देगराय ओरण में से बिजली की बड़ी लाइन निकाली जा रही हैं। हम इसी पावर लाइन का विरोध कर रहे हैं।

सर्वोच्च न्यायालय, एनजीटी के आदेश भी ताक पर

देगराय ओरण में चल रहे इस काम को रोकने के लिए कई पर्यावरण प्रेमी और ग्रामीणों ने सर्वोच्च न्यायालय और राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) में भी केस किया। जनवरी 2019 में सुप्रीम कोर्ट में केस दायर करने वाले पर्यावरणविदों में से एक एमवी रंजीतसिंह बताते हैं कि ''जनवरी 2019 से मार्च 2021 तक केस चला। सुप्रीम कोर्ट ने यहां चल रहे काम को रोकने और तार-खंभों पर रिफलेक्टर लगाने का स्पष्ट आदेश दिया।''रंजीतसिंह आरोप लगाते हैं, ''कंपनियों ने न्यायालय के आदेश की सरेआम अवहेलना की है। लॉकडाउन में भी यहां धड़ल्ले से काम हुआ है। दिखाने के लिए कहीं-कहीं साधारण रेडियम के रिफलेक्टर लगाए हैं जो रोशनी पड़ने पर ही चमकते हैं। अब क्या कोई पक्षी साथ में टॉर्च लेकर उड़ेगा? गोडावण उड़ते वक्त भी अगल-बगल में देखता है इसीलिए इनके बिजली के तारों से टकराने की घटना अधिक होती है। चूंकि नर गोडावण उड़ान ज्यादा भरता है इसीलिए तारों से टकरा कर मरने में इनकी संख्या अधिक है।

माइक्रोब की हुई खोज, मलेरिया फैलने से रोकने में मिल सकती है कामयाबी

अध्ययन में पाया गया कि माइक्रोस्पोरिडिया एमबी नामक सूक्ष्म जीव प्रजनन के दौरान एक मच्छर से दूसरे मच्छर में जा सकता है। यह संक्रमित मच्छरों से मलेरिया परजीवियों के फैलने को रोक सकता है।

दुनिया के कई हिस्सों में मलेरिया रोग अच्छे स्वास्थ्य और आर्थिक विकास के लिए एक बड़ी बाधा बनकर सामने आया है। खासकर उप-सहारा अफ्रीका में मलेरिया स्वास्थ्य को लेकर एक प्रमुख खतरा बना हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक इस इलाके में वैश्विक मलेरिया के 93 फीसदी से अधिक मामले और मौतें होती हैं।

अब मलेरिया से निजात पाने के लिए वैज्ञानिकों ने अध्ययन के माध्यम से एक नई तरकीब खोजी है। अध्ययन में कहा गया है कि एक सूक्ष्म जीव जो नर और मादा मच्छरों के बीच फैलता है, लेकिन यह उनके प्रजनन को भी रोक सकता है। मच्छरों की आबादी में इस सूक्ष्म जीव को छोड़ने से मलेरिया को नियंत्रित किया जा सकता है। अध्ययन में पाया गया कि माइक्रोस्पोरिडिया एमबी नामक सूक्ष्म जीव प्रजनन के दौरान एक मच्छर से दूसरे मच्छर में जा सकता है। यह संक्रमित मच्छरों से मलेरिया परजीवियों के फैलने को रोक सकता है। केन्या के इंटरनेशनल सेंटर ऑफ कीट फिजियोलॉजी (आईसीआईपीई) के वैज्ञानिक और अध्ययनकर्ता जेरेमी हेरेन कहते हैं कि यह खोज सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके जरिए मलेरिया को नियंत्रित किया जा सकता है।

बीमा कंपनियों पर जुर्माना

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्रावधान किया गया है कि यदि तय समय के भीतर किसानों को क्लेम नहीं मिलता है, तो बीमा कंपनियों को 12 फीसदी ब्याज के रूप में जुर्माना देना होगा। विभाग के अधिकारियों ने बताया कि रबी सीजन 2017-18 के लिए चोला एमएस जनरल इंश्योरेंस कंपनी, आईसीआईसीआई लुम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस, न्यू इंडियन एश्योरेंस कंपनी और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जनरल इंश्योरेंस पर लगभग 22 करोड़ 17 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया।

आंकड़े बताते हैं कि निजी कंपनयों को चार साल के दौरान 30 प्रतिशत से अधिक फायदा हुआ। कई कंपनियों ने 60 से 70 फीसदी तक मुनाफा कमाया। भारती एएक्सए 2017-18 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में शामिल हुई और तीन साल के दौरान कंपनी ने 1575.42 करोड़ रुपए का प्रीमियम वसूला, जबकि क्लेम का भुगतान 438.80 करोड़ रुपए किया।

जलवायु के लिए सबसे खराब है नीला हाइड्रोजन: अध्ययन

अध्ययन में कहा गया है कि नीले हाइड्रोजन से निकलने वाली ग्रीनहाउस गैस प्राकृतिक गैस या कोयले के जलने से निकलने वाली ग्रीनहाउस गैस की तुलना में 20 फीसदी अधिक है।

वर्तमान में हाइड्रोजन को उच्च कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के साथ प्राकृतिक गैस ("भूरे हाइड्रोजन") में मीथेन की भाप में सुधार करके उत्पादित किया जाता है। उत्सर्जन को कम करने के लिए कार्बन कैप्चर और स्टोरेज का उपयोग किया जाता है और तथाकथित ब्लू हाइड्रोजन अथवा नीले हाइड्रोजन का उत्पादन होता है। नीले हाइड्रोजन को अक्सर कम उत्सर्जन करने वाले के रूप में उपयोग करने का सुझाव दिया जाता है। अभी तक स्वच्छ हाइड्रोजन का उपयोग पर्यावरणीय रूप से बहुत अच्छा ऊर्जा विकल्प के रूप में देखा गया है। लेकिन अध्ययन में कहा गया है कि इससे कोयले की तुलना में अधिक ग्रीनहाउस गैस का उत्सर्जन हो सकता है। अध्ययन में नीले हाइड्रोजन को उत्पन्न करने में कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन दोनों के उत्सर्जन की जांच की गई है। इसमें पाया गया कि कम कार्बन होने की बात तो दूर, नीले हाइड्रोजन के उत्पादन से ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन काफी अधिक है, खासकर मीथेन के निकलने के कारण।

नीले हाइड्रोजन से निकलने वाली ग्रीनहाउस गैस प्राकृतिक गैस या कोयले के जलने से निकलने की तुलना में 20 फीसदी अधिक है। अध्ययनकर्ताओं ने नीले हाइड्रोजन को बहुत खराब माना है, उन्होंने कहा कि जलवायु के आधार पर इसे सही नहीं ठहराया जा सकता है। जर्नल एनर्जी साइंस एंड इंजीनियरिंग में छपे एक अध्ययन में कहा गया है कि नीला हाइड्रोजन उत्सर्जन मुक्त नहीं है। दुनिया भर में हाइड्रोजन ऊर्जा का प्रचार जोर-शोर से हो रहा है। अमेरिका को ही ले, लें तो बाइडेन का 1.2 ट्रिलियन डॉलर का बुनियादी ढांचा बिल जिसे सीनेट ने हाल ही में पारित किया, उसमें नीले हाइड्रोजन का उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन इसमें कम से कम चार क्षेत्रीय स्वच्छ हाइड्रोजन हब के लिए 8 बिलियन डॉलर का फंड शामिल किया गया है लेकिन शोधकर्ताओं ने चेतावनी दी कि स्वच्छ ऊर्जा रणनीति के हिस्से के रूप में ईंधन का उपयोग करना, जिसमें कार्बन कैप्चर और स्टोरेज (सीसीएस) शामिल है। यह केवल उस सीमा तक काम करता है जहां तक कार्बन डाइऑक्साइड को भविष्य में अनिश्चित काल तक वातावरण में बिना रिसाव के लंबे समय तक संग्रहीत करना संभव हो।

अमेरिका के ऊर्जा विभाग ने इस साल जून में "अगली पीढ़ी के स्वच्छ हाइड्रोजन" का समर्थन करने के लिए 31 परियोजनाओं के लिए 52.5 मिलियन डॉलर की घोषणा की। 2019 की अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए) की रिपोर्ट ने भी हाइड्रोजन की क्षमता को अधिक टिकाऊ और भविष्य के लिए सुरक्षित ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बताया गया था। कॉर्नेल के रॉबर्ट हॉवर्थ और स्टैनफोर्ड के मार्क जैकबसन द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार, हाइड्रोजन ऊर्जा के उत्पादन के लिए इसे गर्म करने तथा दबाव प्रक्रिया की आवश्यकता होती है इस सब के दौरान ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन होता है। ईंधन के रूप में प्राकृतिक गैस के उपयोग से उत्सर्जन होता है। यहां बताते चलें कि जिस प्राकृतिक गैस का उपयोग हाइड्रोजन उत्पन्न करने के लिए किया जाता है उसके उत्पादन में भी ईंधन लगता है, इस तरह यह प्रक्रिया उत्सर्जन को बढ़ावा देने वाली है। अध्ययन में कहा गया है कि नीले हाइड्रोजन से भी उत्सर्जन होता है, कार्बन-कैप्चर प्रक्रिया में भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। नतीजतन, यह कोई फायदा नहीं पहुंचाता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन के एक साथ उत्सर्जन से यह एक और ग्रीनहाउस गैस को वातावरण में उत्सर्जित करता है। प्राकृतिक गैस, डीजल तेल या कोयले की तुलना में नीले और भूरे हाइड्रोजन से कहीं अधिक ग्रीनहाउस गैस का उत्सर्जन होता है।

अध्ययनकर्ता सुझाव देते हैं कि नीले हाइड्रोजन को एक ऊर्जा के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है, लेकिन यह दुनिया भर में ऊर्जा अर्थव्यवस्था को वास्तव में कार्बन उत्सर्जन को कम करने की आवश्यक कार्रवाई को पीछे धकेल सकता है।

साभार : डीटीई

जैविक किसानों के मामले में पहले स्थान पर भारत

जैविक कृषि अनुसंधान संस्थान-एफआईबीएल और अंतरराष्ट्रीय जैविक कृषि आंदोलन संघ-आईएफओएएम सांख्यिकी 2021 के अंतर्राष्ट्रीय संसाधन आंकड़े के मुताबिक, भारत प्रमाणित जैविक क्षेत्र के मामले में 5वें स्थान पर है और दुनिया में जैविक किसानों के मामले में पहले स्थान पर है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्य सभा में बताया कि वर्तमान में 38.09 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को जैविक प्रमाणीकरण के तहत लाया गया है और 44.33 लाख किसान राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (एनपीओपी) और प्रमाणन के भागीदारी गारंटी प्रणाली (पीजीएस) के तहत कवर किए गए हैं।

126 कोयला आधारित बिजली संयंत्र हुये बंद

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा संकलित सूचना के अनुसार, मार्च 2016 से जून 2021 के दौरान विभिन्न कारणों से 126 कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र इकाइयों को बंद कर दिया गया है। यह उत्सर्जन मानदंडों के अनुपालन सहित तकनीकी-आर्थिक और व्यावसायिक विचार के आधार पर किया गया है। आज यह केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने लोकसभा में बताया।

मलेरिया के मामलों और मौतों में कमी

देश में मलेरिया के मामलों और मौतों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने लोकसभा में बताया कि 2015 की तुलना में वर्ष 2020 में मलेरिया के मामलों में 84.4 फीसदी और मलेरिया से होने वाली मौतों में 83.6 फीसदी की कमी आई है। मंडाविया ने बताया कि राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की रिपोर्ट के अनुसार, 2020 में डेंगू के 99.82 फीसदी मामले ठीक हुए।

फलों की मिठास और फूलों की खुशबू बिखेर रहे हैं झारखण्ड के बाग ,खेत

संवाददाता

रांची :झारखण्ड राज्य के किसान उद्यानिकी फसलों के उत्पादन में रुचि ले रहे हैं। इनके लिए परम्परागत खेती बीते समय की बात हो गई है। समय की जरूरत को देखते हुए किसान फलों, सब्जियों, औषधीय पौधों, फूलों की खेती एवं मधु का उत्पादन कर आर्थिक स्वावलंबन का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। राज्य सरकार इसमें भरपूर सहयोग किसानों को दे रही है। किसान झारखण्ड की माटी में उपजे फलों की मिठास और फूलों की सुगन्ध बिखेर कर आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हो रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कृषि विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया था कि राज्य की जलवायु एवं भौगोलिक स्थिति उद्यानिकी फसलों के लिए काफी उपयुक्त हैं। पहाड़ी क्षेत्र होने की वजह से यहॉ पर उद्यानिकी फसलों की खेती की अपार संभावनाएं हैं। अधिक से अधिक किसान उद्यानिकी फसलों की खेती से जोड़े जाएं। मुख्यमंत्री की पहल पर किसानों को उद्यान से जोड़ा जा रहा हैं, जिससे किसानों की आय में वृद्धि के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी।

प्रतिकात्मक तस्वीर

फल उत्पादन में ले रहे हैं रुचि

राज्य के किसान फल उत्पादन में रुचि दिखा रहें हैं। वर्ष 2020-21 में फलों की खेती 100.27 हजार हेक्टेयर में की गई। इससे 1203.64 हजार मीट्रिक टन फल का उत्पादन हुआ। प्रति हेक्टर12 टन उत्पादन हुआ, जबकि राष्ट्रीय उत्पादकता 14.82 मीट्रिक टन प्रति हेक़्टेयर हैं। इस अवधि में 295.95 हजार हेक्टेयर में सब्जी की खेती की गई। इसमें 3603.41 हजार मीट्रिक टन सब्जी का उत्पादन हुआ। 12.17 टन प्रति हेक्टेयर सब्जी का उत्पादन हुआ। राष्ट्रीय उत्पादकता 18.4 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर हैं। फूलों की खेती में भी झारखण्ड अग्रसर हैं। झारखण्ड में 0.99 हजार हेक्टेयर में फूलों की खेती कर किसानों ने 4.64 हजार मीट्रिक टन फूल का उत्पादन किया। 4.68 टन प्रति हेक्टेयर फूल का उत्पादन हुआ। जबकि राष्ट्रीय उत्पादकता प्रति हेक्टेयर 6.57 मीट्रिक टन हैं।

झारखण्ड राज्य के किसान उद्यानिकी फसलों से होने वाले मुनाफे से वाकिफ हैं। यही वजह है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में फलों की खेती 110.57 हजार हेक्टेयर में हो रही है। अभी तक उत्पादन 1337.897 हजार मीट्रिक टन हुआ है। प्रति हेक्टेयर उत्पादन 12.1 टन हैं। इसके अतिरिक्त 304 हजार हेक्टेयर में सब्जी की खेती हो रही है। अब तक 4061.44 मीट्रिक टन सब्जी का उत्पादन हुआ है। वहीं 1.1 हजार हेक्टेयर में फूलों की खेती की गई, जिससे 5.522 हजार टन फूल का उत्पादन हुआ। झारखण्ड में प्रति हेक्टेयर 5.02 टन फूल का उत्पादन हो रहा हैं। विभाग ने आनेवाले वर्षों में क्षेत्रफल एवं उत्पादन बढ़ाने का लक्ष्य तय किया हैं।

उत्पादन बढ़ाने के लिये प्रशिक्षण

उद्यानिकी फसलों के उत्पादन बढ़ाने हेतु किसानों के लिए 90 दिनों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, ताकि किसान उद्यानिकी फसलों के बारे में नवीनतम जानकारी प्राप्त करें और शहरी क्षेत्रों में अरबन फार्मिंग को बढ़ावा दिया जा सके। राज्य सरकार ने फसल उत्पादन के बाद पैक हाउस, प्रिजर्वेशन यूनिट, कोल्ड रूम, राइपिंग चेम्बर इत्यादि के निर्माण की योजना बनाई है। सब्जी एवं फूल की खेती के लिए ग्रीन हाउस, प्लास्टिक मल्चिग को बढ़ावा देने का भी काम हो रहा है।

किसान लगा सकते हैं इकाई

राज्य में उद्यानिकी फसलों के उत्पाद को नुकसान से बचाने के लिए प्रसंस्करण की आवश्यकता होती है। सब्जियों एवं मसालों में विशेषकार टमाटर, अदरक, मिर्च, लहसुन तथा कटहल के पाउडर की प्रसंस्करण इकाई स्थापना का प्रस्ताव है। प्रसंस्करण से उत्पादों का गुण, स्वाद, बनावट आदि संरक्षित रहता है। राज्य के किसानों को प्रसंस्करण इकाई की स्थापना हेतु प्रति इकाई परियोजना लागत का अधिकतम 55 प्रतिशत अनुदान प्रस्तावित है। साथ ही कृषकों द्वारा उत्पादित फल एवं सब्जी को सुखाकर प्रिजर्वेशन यूनिट में संरक्षित किया जाता है। इसके लिए सरकार के स्तर से कृषकों को 50 प्रतिशत अनुदानित राशि भी दी जाती है। इससे कृषक लाभ उठाकर अपने आय की वृद्धि करते है।

क्रय शक्ति बढ़ाना सरकार की प्राथमिकता

उद्यानिकी फसलों के अन्तर्गत फलों, सब्जियों, औषधीय पौधों, फूलों की खेती एवं मधु उत्पादन किया जाता है। राज्य में किसानों को उद्यानिकी फसलों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। उद्यान में किसान एक से अधिक फसलों का उत्पादन कर रहे हैं। किसानों को इस से जोड़कर उनकी क्रय शक्ति को बढ़ाना सरकार की प्राथमिकता हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश पर किसानों के उत्पाद के भण्डारण के लिए कोल्ड स्टोरेज की कमी को दूर किया जा रहा है। आने वाले वर्षो में इसका अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा।

क्षमता विकास पर भी है ध्यान

राज्य में कृषकों को क्षमता विकास के अन्तर्गत मधुमक्खी पालन कर मधु उत्पादन एवं विपणन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर करने हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 में 1200 कृषकों को 25 दिनों का आवासीय प्रशिक्षण दिये जाने का प्रस्ताव है।

उद्यानिकी के क्षेत्र में कुल 8000 ग्रामीण युवाओं को माली प्रशिक्षण के माध्यम से स्वरोजगार को बढ़ावा देने के साथ अपने व्यवसाय में अग्रसर बनाने हेतु युवाओं को 25 दिनों का सर्टिफिकेट कोर्स का आवासीय प्रशिक्षण दिये जाने का प्रस्ताव है। मशरूम उत्पादन के लिये किसानों को 05 दिनों का सर्टिफिकेट कोर्स का प्रशिक्षण दिये जाने का प्रस्ताव है।

झारफ्रेश परियोजना के उद्देश्य

- झारखण्ड के बागवानी उत्पादन को राष्ट्रीय एवं विश्व स्तर पर अग्रणी बनाना।
- राज्य के किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य प्राप्ति हेतु कुशल बाजार से संपर्क स्थापित करने तथा वैकल्पिक विपणन मंत्र प्रदान करना।
- राज्य के किसानों के ताजा उपज को सीधे उपभोक्ताओं तक उपलब्ध कराने हेतु एकीकृत एवं कुशल आपूर्ति श्रृंखला बनाना।
- बागवानी उत्पादों के निर्यातकों को संगरोध सुरक्षा के साथ उत्पाद की गुणवत्ता के मामले में अन्तरराष्ट्रीय मानकों को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करना।
- बैकवर्ड लिंकेज के विकास हेतु प्रोत्साहित करना।
- शहरी उपभोक्तओं को पर्याप्त मात्रा में गुणवत्तापूर्ण बागवानी उपज की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- कटाई के उपरान्त प्रबंधन में कमी के कारण उत्पादन स्तर पर (ग्राम/पंचायत) एकत्रीकरण गतिविधियों का विकास करना।
- बागवानी उत्पादन स्थलों को खपत केन्द्रों से जोड़ने हेतु निजी संस्थानों को बढ़ावा देना।

हर्बल पार्क की स्थापना की योजना

राज्य में किसानों को हर्बल पौधों की खेती करने एवं उद्योगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हर्बल उद्योगों के क्षेत्र में अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उत्पन्न करने हेतु पायलॉट प्रोजेक्ट के तहत प्रथम चरण में राज्य में हर्बल पार्क की स्थापना का प्रस्ताव है।

राज्य के किसान हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में भी आगे बढ़े, इस निमित सरकार हर सम्भव सहयोग कृषकों को दे रही है। इसका प्रतिफल है कि कृषक फलों, सब्जियों और फूलों की खेती में दिलचस्पी दिखा रहें हैं।

बीमार हाथी के बच्चे ने दम तोड़ा

संवाददाता

रांचीः तमाड़ वन क्षेत्र के सारजमडीह टोला चिरूपीडी जंगल में हाथी के एक बच्चे ने दम तोड़ दिया। ग्रामीणों के मुताबिक वह सात-आठ दिनों से बीमार था। उन्होंने इसकी सूचना तमाड़ वन क्षेत्र पदाधिकारी अमरनाथ भगत को दी। सूचना पाते ही भगत डॉक्टर की सहायता से हाथी के बच्चे को किसी तरह केले में दवा डालकर खिलाने की कोशिश की। लेकिन उसने दवा नहीं खाया।हाथी के बच्चे को चारों ओर से हाथियों के झुंड ने घेर रखा था। जिससे उसके इलाज में काफी परेशानी आई। ग्रामीणों ने बताया कि नन्हें हाथी के चारो ओर करीब 12 से 15 जंगली हाथी घेरा बनाकर खड़े थे। मौत के बाद वाइल्ड चिकित्सक डॉ जयकुमार तिवारी और महिमा मिंज ने हाथी के बच्चे का पोस्टमार्टम किया। इसके बाद उसके शव को दफनाया गया।

सीसीएल सोनाहातू और ओरमांझी में लगायेगा ऑक्सीजन प्लांट

संवाददाता रांचीः अपर सचिव, कोयला मंत्रालय, भारत सरकार विनोद कुमार तिवारी ने सीसीएल, बीसीसीएल सहित कोल इंडिया की सभी अनुषंगी कंपनी से डिजिटल मोड से आजादी का अमृत महोत्सव का समीक्षा किया। निदेशक (कार्मिक) पी.वी.के.आर. मल्लिकार्जुना राव ने अमृत महोत्सव के बारे में विस्तार से जानकारी दी।

अमृत महोत्सव के अंतर्गत 13 अगस्त को कोल इंडिया की अनुषंगी कंपनी सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल) एवं जिला प्रशासन, रांची के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) किया गया। इस एमओयू के अंतर्गत सीसीएल सीएसआर के अंतर्गत राँची जिला के सोनहातु और ओरमांझी प्रखण्ड के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के कोविड वार्ड हेतु 1.126करोड़ रुपये की लागत से 200 एलपीएम क्षमता युक्त2पीएसए ऑक्सीजन उत्पादन प्लांट, ऑक्सीजन पाइपलाइन प्रणाली के साथ स्थापित किए जायेगा। यह एमओयू उपायुक्त कार्यालय कक्ष मेंउपायुक्त, रांची छवि रंजन की अध्यक्षता में विभागाध्यक्ष (एसडी एवं सीएसआर),सीसीएल, एस॰एस॰लाल॰ एवं जिला प्रशासन की ओर से सिविल सर्जन, रांची ने हस्ताक्षर किया।

सीसीएल और जिला प्रशासन, रांची के बीच एमओयू

यह परियोजना कोविड -19 की अपेक्षित तीसरी लहर के लिए तैयारियों की दिशा में एक कदम है। इस अवसर पर सीसीएल की ओर से उप प्रबंधक सिविल साक्षी होरो, सहायक प्रबंधक श्वेता हांसदा, सहायक प्रबंधक उपहार कौशल एवं जिला प्रशासन अन्य अधिकारीगण सोशल डिस्टेंशिंग का पालन करते हुये उपस्थित थे।

पीडीएस की मजबूती के लिए सभी राज्यों को डीसीपी से जोड़े केंद्र सरकारः स्थायी समिति

राजू सजवान

अभी चावल के लिए 15 और गेहूं के आठ राज्य ही विकेंद्रीकृत वितरण योजना (डीसीपी) से जुड़े हुए हैं। स्थायी समिति ने कहा है कि पीडीएस को मजबूती प्रदान करने के लिए राज्यों को डीपीसी में शामिल किया जाए।

खाद्य, उपभोक्ता मामलों और सार्वजनिक वितरण की संसदीय स्थायी समिति ने सवाल उठाया कि खाद्य वितरण प्रणाली के तहत विक्रेंदीकृत खरीद योजना (डीसीपी) को शुरु हुए 23 साल हो चुके हैं, लेकिन अब तक चावल के लिए 15 राज्य और गेहूं के लिए आठ राज्य ही इस योजना से जुड़े हैं? केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को इस योजना से जोड़ने का प्रयास क्यों नहीं किए? स्टेडिंग कमेटी का मानना है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) को मजबूती प्रदान में डीसीपी योजना की बड़ी भूमिका हो सकती है, क्योंकि इससे राज्य सरकारें अपने राज्य की उपज स्थानीय लोगों को वितरित करेंगे। इसके चलते लोगों को उनके स्वाद के मुताबिक अनाज उपलब्ध होगा।

हालांकि डीसीपी योजना अभी राज्यों के लिए अनिवार्य नहीं है, लेकिन मंत्रालय को चाहिए कि वह इस योजना के फायदे गिनाते हुए दूसरे राज्यों को डीसीपी योजना में शामिल होने के प्रेरित करें। यदि केंद्र सरकार ऐसा करती है तो इसे जहां वितरण पर होने वाले खर्च में खासी कमी आएगी, वहीं एमएसपी का लाभ भी हर घर तक पहुंच पाएगा। इसलिए केंद्र को एक तय समय के भीतर राज्यों आधारभूत सुविधाएं प्रदान करते हुए इस योजना में शामिल करने का प्रयास करना चाहिए।

विक्रेंदीकृत खरीद योजना (डीसीपी) की शुरुआत 1997-98 में हुई थी। इसका मकसद राज्य सरकारों द्वारा स्वयं खाद्यान्न की खरीद, संग्रह और वितरण करना था। राज्य सरकारें अपनी लक्षित योजनाओं के लिए खाद्यान्न का वितरण करती हैं। इसका दूसरा मकसद यह था कि राज्य सरकारें अपने किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के तहत खरीददारी करें। इससे सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) की परिवहन लागत की भी बचत होती है। राज्य सरकारों के पास जो अनाज बच जाता है, उसे भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) सेंट्रल पूल के लिए खरीद लेता है। डीसीपी योजना के तहत राज्य सरकारें अनाज की खरीद, संग्रहण और वितरण पर जितना पैसा खर्च करती हैं, भारत सरकार उतना पैसा राज्य सरकारों को भेज देता है। जो सरप्लस स्टॉक एफसीआई को दिया जाता है, उसकी कीमत राज्यों के खाते में समायोजित हो जाते हैं।

फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन

संवाददाता

रांची :मंडल रेल प्रबंधक प्रदीप गुप्ता के नेतृत्व में स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ - आजादी का अमृत महोत्सव, फिट इंडिया फ्रीडम रन में मंडल के अधिकारी, रेल सुरक्षा बल के जवान एवं कर्मचारियों ने हिस्सा लिया । युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, भारत सरकार ने 13अगस्त से दिनांक 02सितंबर 2021 महात्मा गांधी जी की जयंती तक स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ - आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 का आयोजन किया है।

इस अवसर पर मंडल रेल प्रबंधक ने सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अपने शरीर को फिट एवं तंदुरुस्त रखने के लिए कम से कम आधा घंटा वॉक, जॉगिंग, साइकिलिंग, योग या किसी भी तरह का शारीरिक व्यायाम को अपने दिनचर्या में अवश्य शामिल करने की सलाह दी।

रेल सुरक्षा बल पोस्ट, हटिया से प्रारंभ हुए इस दो किलोमीटर के दौड़ में एम एम पंडित, जी सी हेंब्रम, अमित कंचन,अवनीश, माणिक शंकर, कुलदीप कुमार,पंकज कुमार,प्रशांत यादव ,विश्वजीत घोष व अन्य अधिकारी बड़ी संख्या में रेल सुरक्षा बल के जवान एवं कर्मचारियों ने बड़े उत्साह के साथ हिस्सा लिया ।

खराब वैक्सीन से पशुपालकों को नुकसान, मुआवजे की नीति नहीं

ऐसे किसान जो पशुपालन से अपनी आजीविका चलाते हैं और पारंपरिक तौर पर उसी पर निर्भर हैं, वे अपने जानवरों को तमाम रोगों के साथ प्रयोग के दौरान इस्तेमाल की गई खराब वैक्सीन के चलते खो रहे हैं।

जानवरों से इंसानों में पहुंचने वाली संक्रामक बीमारियों (जूनोटिक) मानवता के लिए घातक होती जा रही हैं। वहीं, अन्य बीमारियों से त्रस्त पशुपालक किसान भी उचित व समुचित इलाज के अभाव से त्रस्त और हतोत्साहित हो रहे हैं। देश में अब भी जानवरों में होने वाले रोगों की रोकथाम को लेकर ठोस काम नहीं हो पाया है। खासतौर से गुणवत्तापूर्ण वैक्सीन की अनुपलब्धता और नीतियों का अभाव इसे और खतरनाक बना रहा है। गांव और ब्लॉक स्तर पर अब भी जानवरों की बीमारी की खोजबीन और उनके इलाज की व्यवस्थाएं उदासीन या नदारद हैं।

केंद्रीय मत्स्य पाल, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय की स्थायी संसदीय समिति ने 05 अगस्त, 2021 को "स्टेटस ऑफ वेटरिनरी सर्विसेज एंड अवेलिबिलिटी ऑफ एनिमल वैक्सीन इन द कंट्री" नामक रिपोर्ट में कहा है कि कई राज्यों के गांवो में अब भी बुनियादी जांच सुविधाओं का अभाव है। यहां तक कि यदि नमूने ले भी लिए जाते हैं तो उन्हें ब्लॉक या जिला स्तर पर भेजने की कवायद भी काफी मशक्कत भरी है। ऐसे में यह न सिर्फ पशुपालकों के लिए परेशानी भरा है बल्कि बीमारी के फैलने की भी संभावना बनी रहती है।

स्थायी समिति ने कहा कि ऐसे में ग्रासरूट लेवल पर दक्ष लोगों की जरूरत है जो इस समस्या का काफी हद तक समाधान कर सकते हैं। अभी कुछ राज्यों में गांवों में मोबाइल वेटरिनरी यूनिट्स बुनियादी जांच की सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं हालांकि, ज्यादातर फंड की कमी या संसाधनों के अभाव में उदासीन हैं।

देश में जानवरों में बीमारियों की खोजबीन और पता लगाने के लिए 256 राज्य प्रयोगशालाएं, 56 वेटेरिनरी कॉलेज की प्रयोगशालाएं, 33 एलीसा प्रयोगशालाएं, 5 क्षेत्रीय डिजीज डायगनोस्टिक लैबोरेट्री और एक सेंट्रल डिजीज डायग्नोस्टिक लेबोरेट्री मौजूद हैं जो ब्लॉक, जिला या गांव स्तर पर ऐसी समस्याओं से जूझने के लिए अपर्याप्त हैं। वहीं, कई तरह के रोगों से बचाव के लिए वैक्सीन जैसे अहम हथियार का गुणवत्तापूर्ण इस्तेमाल अभी तक नहीं हो रहा है। ऐसे किसान जो पशुपालन से अपनी आजीविका चलाते हैं और पारंपरिक तौर पर उसी पर निर्भर हैं, वे अपने जानवरों को तमाम रोगों के साथ प्रयोग के दौरान इस्तेमाल की गई खराब वैक्सीन के चलते खो रहे हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें कोई मुआवजा भी नहीं मिलता है। यहां तक कि ऐसे मामलों में संवाद के लिए पशुपालक या पोल्ट्री मालिकों और पशुपालन विभाग के बीच संवाद की कोई कड़ी भी नहीं है।

स्थायी समिति ने गौर किया कि अभी तक ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो पशुपालक को वैक्सीन लगने के बाद जानवर के मर जाने पर किसी तरह का मुआवजा देता हो। समिति ने कहा कि इस दिशा में कदम उठाए जाने चाहिए। ग्रासरूट लेवल पर ही वन स्टॉप सेंटर बनाकर ऐसी समस्याओं का समाधान होना चाहिए। इसके अलावा स्थायी संसदीय समिति ने कहा कि ऊंट, याक व अन्य ऐसे जानवर जिनके दूध का कहीं-कहीं या यदा-कदा प्रयोग होता है वेटेरिनेरी हेल्थकेयर सर्विसेज और वैक्सीनेशन प्रोग्राम में शामिल नहीं हैं। ऐसे में एक समावेशी कार्यक्रम होना चाहिए। और खासतौर से हिमालयी राज्यों व पूर्वोत्तर राज्यों की सरहदों पर जागरुकता कार्यक्रम भी चलाया जाना चाहिए। देश में नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम (एनएडीसीपी) कार्यक्रम के तहत सरकार फुट एंड माउथ डिजीज (मुंह और खुर में रोग) को वैक्सीनेशन के तहत 2025 तक 100 फीसदी खत्म करने का वादा करती है। सरकार के मुताबिक इसकी वैक्सीन पर्याप्त है। हालांकि गाय और भैंसों में होने वाले संक्रामक ब्रुसेलोसिस रोग के लिए मौजूदा जरूरत के हिसाब से ब्रुसलोसिस वैक्सीन की 580 लाख खुराक कम है। यह जानवरों से इंसानों में भी फैल सकता है।

लेकिन वैक्सीन की गुणवत्ता एक बड़ा प्रश्न बना हुआ है। स्थायी संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट में इसका जिक्र किया है कि पशुपालन विभाग के लोगों का कहना है कि इस मामले में हमारी रिसर्च इतनी व्यापक और गहरी नहीं है। ऐसे में न सिर्फ वैक्सीनेशन प्रोग्राम में देरी हो रही है बल्कि रोग को प्रसार का मौका भी मिल रहा है।

स्थायी संसदीय समिति ने गौर किया कि 2019-20 में फुट एंड माउथ डिजीज में 45.6 करोड़ वैक्सीन के लक्ष्य के विरुद्ध 18.2 करोड़ वैक्सीन ही लगाया जा सका। इसी तरह से क्लासिकल स्वाइन फीवर का केवल 3 लाख वैक्सीन ही लगाया जा सका। वहीं, 2020-21 में यह अभी तक जीरो है। ऐसे में वैक्सीन निर्माण की तकनीकी जानकारी पशुपालन विभाग को किसी अन्य कंपनी को ट्रांसफर करना चाहिए। इसी तरह पशु संबंधी संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए स्थायी संसदीय समिति ने एंटी माइक्रोबियल रसिस्टेंस पर चिंता जाहिर की है और अपने सुझाव में कहा है कि सरकार को पशुओं को दी जाने वाली दवाएं और हॉर्मोन पर भी गौर करना चाहिए। इसका दुरुपयोग हो रहा है जिसके देख-रेख की जरूरत है।

DTE

एक 'स्वस्थ खुराक' क्या है ?

अच्छी सेहत पाने के लिए हमें अक्सर 'स्वस्थ खुराक' लेने के लिए कहा जाता है। हालांकि हममें से ज्यादातर लोगों को यह नहीं मालूम है कि वास्तव में एक 'स्वस्थ खुराक' का सही मतलब क्या होता है। वह क्या चीज है जो किसी खाने को 'स्वस्थ खुराक' बनाती है। इस सवाल का जवाब तलाश लिया गया है।

सितंबर 2021 में होने वाले फूड सिस्टम्स समिट से पहले लिनेट एम न्यूफेल्ड, शेरिल हेंड्रिक्स और मार्टा हयूगस द्वारा लिखे पेपर में इस सवाल का जवाब तलाशा गया है। इस पेपर का नाम है, 'स्वस्थ खुराक - फूड सिस्टम्स समिट के लिए संयुक्त राष्ट्र की एक परिभाषा'। इसमें खुराक, खाने और इन दोनों के बीच के अंतर को परिभाषित किया गया है। साथ ही इसमें यह भी बताया गया है कि एक पोषण वाली और सुरक्षित खुराक कैसे तैयार होती है। लेखक आगे कहते हैं कि लंबा समय बीतने के साथ कोई भी आदमी तमाम तरह के खाने खाता है। एक अच्छी खुराक में तमाम तरह के खानों का उपयुक्त मात्रा में मिश्रण होता है। उसमें किसी भी चीज की मात्रा कम या अधिक नहीं होनी चाहिए। ऐसी खुराक में शामिल खाना सुरक्षित और पोषणयुक्त होता है। तो, वास्तव में 'पोषणयुक्त खाना' क्या है ? यह वह खाना है, जिसमें सभी तरह के पोषण वाले तत्व जैसे प्रोटीन, विटामिन, खनिज, एमिनो एसिड, फैटी एसिड, और रेशेयुक्त पदार्थ शामिल होते हैं। इस खाने में शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले तत्व जैसे सोडियम, संतृप्त वसाएं और शक्कर कम से कम मात्रा में होते हैं।

लेखकों के मुताबिक, 'एक स्वस्थ खुराक वह है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद और हमें बीमारियों से बचाने वाली होती है। इसमें पोषित भोजनों से हमारे शरीर के लिए जुटाए गए जरूरी पोषण और स्वास्थ्य के लिए लाभदायक तत्व बिना कम या ज्यादा मात्रा के शामिल होते है। इस खुराक में वह चीजें शामिल नहीं होतीं, जिनमें हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाले तत्व होते हैं।

लेखकों ने यह भी पाया कि किसी खाने को पूरी तरह पोषणयुक्त या कम पोषणयुक्त मानने का दुनिया में कोई एक सार्वभौमिक तरीका नहीं है। हाल के सालों में जो एक तरीका विकसित हुआ है, वह है - 'पोषण की रूपरेखा तैयार करना' ।इसमें उस खाने की प्रति सौ ग्राम मात्रा या सौ किलो कैलोरी एनर्जी से मिलने वाले पोषण के आधार पर उसकी रैंकिंग तय की जाती है। लेखकों ने आगे बताया कि किसी खाने के ज्यादा या कम पोषणयुक्त गुणों को श्रेणीबद्ध करने की दिशा में अभी काफी काम होना बाकी है। पेपर के मुताबिक, अलग - अलग लिंग, उम्र और जीवन की अवस्था के अनुसार व्यक्ति को पोषण की जरूरत होती है। कोई ऐसा एक पोषित तत्व नहीं है, जो सभी के लिए एकसमान फायदेमंद हो। इस दिशा में अभी और ज्यादा ज्ञान हासिल किया जाना बाकी है। कई तरह के खाद्य संयोजन ऐसे भी हैं, जिनसे संबंधित आंकड़ों की कमी है। उदाहरण के लिए, खाए जाने वाले कीड़ों के बारे में कम जानकारी उपलब्ध है, क्योंकि यह कम प्रचलित खाद्य पदार्थ हैं। इनके बारे में उपलब्ध आंकडे.पुराने हैं और उनमें सुधार की जरूरत है। इसके अलावा खाद्य- प्रसंस्करण और इससे जुड़े स्वास्थ्य संबंधी अनुमानों में सर्वसम्मत राय की कमी है।

इस पेपर में लेखकों ने खाद्य- पोषण के अलावा खाद्य-सुरक्षा पर भी बात की है। उन्होंने इसमें 'उन सारे संकटों को शामिल किया है, जा किसी खाने को उसके उपभोक्ता के लिए हानिकारक बनाते हैं, भले ही ये संकट गंभीर हों या सामान्य'। उनके मुताबिक, कोई भी खाना जैविक संकटों की वजह से, रोगाणुओं की वजह से या फिर कीटनाशकों और जानवरों की दवाईयों जैसे रासायनिक दूषक पदार्थों की वजह से हानिकारक हो जाता है।

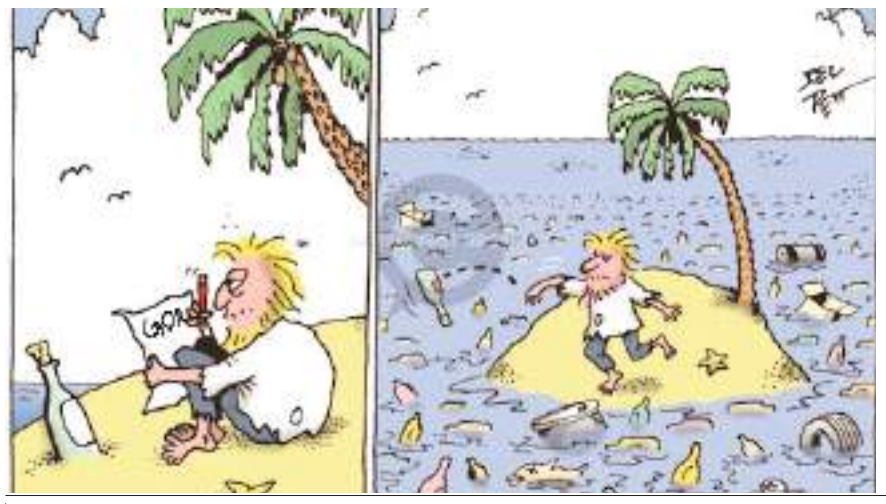

समय रहते क्लाइमेट एक्शन जरूरी

शहाना घोष /मयंकअग्रवाल

पृथ्वी को लेकर आपातकाल जैसी स्थिति बन रही है और ग्रीनहाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने के लिए बड़े और प्रभावी निर्णयों की तत्काल जरूरत है। यह कहना है जलवायु परिवर्तन पर इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज यानी आईपीसीसी की ताजा रिपोर्ट का।आईपीसीसी के मुताबिक अगर बड़े निर्णय नहीं लिए गए तो पृथ्वी के तापमान में बढ़ोतरी को 1.5 या 2 डिग्री सेल्सियस के भीतर नहीं रोका जा सकता। रिपोर्ट के मुताबिक 1850 से लेकर 1900 के मुकाबले 1.1 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि हो चुकी है और इसके लिए इंसानी गतिविधियां जिम्मेदार हैं। रिपोर्ट ने पाया है कि आने वाले 20 वर्ष में ही वैश्विक तापमान में औसतन 1.5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने वाली है।रिपोर्ट का मानना है कि 21वीं सदी में लू के थपेड़े अधिक मारक होंगे और बार-बार आएंगे। दक्षिण एशिया के लिए मानसून और गर्मी दोनों रौद्र रूप दिखाएंगे।अगर त्वरित और बड़े पैमाने पर ग्रीनहाउस गैस कम करने की कोशिश नहीं हुई तो पृथ्वी के बढ़ते तापमान को 1.5 या 2 डिग्री सेल्सियस तक रोकना मुमकिन नहीं होगा।

इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज (आईपीसीसी) की रिपोर्ट में पृथ्वी के भविष्य की भयावह तस्वीर उकेरी है। आईपीसीसी, संयुक्त राष्ट्र का एक अंग है जिसने इस सप्ताह अपनी ताजा रिपोर्ट प्रकाशित की है जिसमें जलवायु परिवर्तन की तीव्रता को समझाने की कोशिश की गयी है।

क्लाइमेट चेंज 2021 द फिजिकल साइंस बेसिस नाम से आईपीसीसी की वर्किंग ग्रुप 1 के द्वारा प्रकाशित की गई यह रिपोर्ट इस संस्था की छठी असेसमेंट रिपोर्ट (एआर) है। यह एआर-6 की पहली किस्त है। पूरी रिपोर्ट वर्ष 2022 में जारी होने वाली है। असेसमेंट रिपोर्ट या आकलन रिपोर्ट की प्रक्रिया में तीन कार्य समूहों की रिपोर्ट प्रकाशित होती है। पहला, वर्किंग ग्रुप कजो जलवायु परिवर्तन के भौतिक विज्ञान आधारित समझ समेटे हुए होती है। दूसरे, वर्किंग ग्रुप क्क जो इसके प्रभाव, निपटने की तैयारी और हमारी कमजोरी पर बात करती है। तीसरा, वर्किंग ग्रुप क्क्क जो जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए किये जा रहे प्रयास पर बात करती है तथा जरूरी प्रयास पर भी बल दिया जाता है।आईपीसीसी की इस ताजा रिपोर्ट को 195 सदस्य राष्ट्रों द्वारा अनुमति मिली है। दूसरे दो कार्य समूहों के रिपोर्ट 2022 तक आएगी। एआर-6 सिन्थिसिस या मुख्य रिपोर्ट के लिए बैठक सितंबर 26 से अक्तूबर 6, 2022 तक होनी है।

पश्चिम बंगाल में पिछले साल आए चक्रवाती तूफान अंफन से जान-माल को काफी नुकसान हुआ। इस आपदा में दर्जनों लोगों की जान भी गई थी। आईपीसीसी की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक चरम मौसम की बढ़ती घटनाओं के पीछे जलवायु परिवर्तन का हाथ है।

वर्ष 2015 में हुए पेरिस समझौता के तहत सभी राष्ट्र ग्रीनहाउस गैस का उत्सर्जन कम करने को एकमत हुए थे और तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक न बढ़ने देने का समझैता किया था। हालांकि, आईपीसीसी की रिपोर्ट कहती है कि 1850 से लेकर 1900 तक इंसानी गतिविधियों की वजह से उतसर्जित ग्रीन हाउस गैस की वजह से वैश्विक तापमान में 1.1 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो चुकी है और आने वाले 20 साल में यह बढ़ोतरी 1.5 डिग्री सेल्सियस को पार कर जाएगी। रिपोर्ट ने चेताया है कि अगर कड़े निर्णय नहीं लिए गए तो 21वीं सदी में यह बढ़ोतरी दो डिग्री सेल्सियस को भी पार कर जाएगी। रिपोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जलवायु परिवर्तन का असर हर इलाके में देखा जाएगा। लू और लंबे गर्म मौसम में बढ़ोतरी के साथ ठंडे दिनों में कमी देखी जाएगी। तापमान दो डिग्री बढ़ने के बाद भीषण गर्मी की वजह से खेती और स्वास्थ्य बुरी तरह प्रभावित होगा। आईपीसीसी ने एक बयान जारी कर कहा कि पहली बार छठे आकलन रिपोर्ट में अलग-अलग क्षेत्रों के मुताबिक खतरों का आकलन किया गया है। इससे मिली जानकारी से खतरों का आकलन करने में मदद मिलेगी।

भारत में तितली की 1318 प्रजातियां

एजेंसियां

भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में तितलियों की 1318 प्रजातियां दर्ज की गई हैं, जैसा कि केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने लोकसभा में बताया।

भारत से किसी भी तितली की प्रजाति के विलुप्त होने की कोई जानकारी नहीं है। चौबे ने बताया कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर (आईयूसीएन) के अनुसार, गंभीर रूप से लुप्तप्राय (क्रिटिकल्ली इन्डैन्जर्ड) के तहत तितली की 35 प्रजातियां, लुप्तप्राय (इन्डैन्जर्ड) के तहत 43 प्रजातियां और कम चिंता (लीस्ट कन्सर्न) वाली श्रेणी के तहत 3 प्रजातियां हैं।

केरल में शहद के लिए दिशानिर्देश

एजेंसियां

लोकसभा में उठाए गए इस सवाल के बारे में कि केरल में मधुमक्खी पालन करने वाले भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसआई) की गाइडलाइन का पालन करने में असमर्थ हैं। क्योंकि प्राकृतिक कारकों के कारण शहद में नमी का स्तर 20 प्रतिशत से कम है, जिससे केरल में शहद का उत्पादन करना असंभव हो जाता है। इसके लिए नमी का स्तर या आर्द्रता 25 प्रतिशत से नीचे होनी चाहिए। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने बताया कि मिठाई, कन्फेक्शनरी, चीनी, स्वीटनर और शहद पर वैज्ञानिक पैनल की 15वीं बैठक में इस मुद्दे पर विचार-विमर्श किया गया था। शहद में नमी की मात्रा की सीमा की समीक्षा करने पर सहमति बनी है।

तदनुसार, विशेष रूप से केरल से 50 शहद के नमूने राष्ट्रीय अंतःविषय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईआईएसटी), केरल में एकत्र किए गए और उनका विश्लेषण किया गया, इसकी रिपोर्ट प्राप्त हुई है। पवार ने बताया कि साइंटिफिक पैनल ने और ढील देने की सिफारिश नहीं की है।

गोवा के लोग प्रदूषित पानी पीने को लोग मजबूर

नमूनों में सबसे ज्यादा माइक्रोप्लास्टिक का स्तर गोवा के मापुसा में पाया गया, इसके बाद मार्सेल, फिर ओपा और मार्गो व पणजी, ओसोनोरा, कोनकोना और फिर सलाउलिम में मिला है।

एजेंसियां : हाल ही में जहां उड़ीसा के पूरी और भुवनेश्वर जैसे शहरों में शुद्ध पेय जल उपलब्ध कराने के लिये मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की प्रर-शंसा हो रही है वहीं गोवा के लोग शायद पानी के साथ प्लास्टिक का भी सेवन कर रहे हैं। यह चौंकाने वाला है लेकिन यह एक हकीकत है। दिल्ली स्थित गैर सरकारी संस्था टॉक्सिक लिंक ने अपने ताजा अध्ययन में इसकी पुष्टि की है। अध्ययन में गोवा के रिहायशी इलाकों से लिए गए कुल 288 टैप वाटर के नमूनों में 26 तरीके के सूक्ष्म और खतरनाक प्लास्टिक कणों की मौजूदगी मिली है।

आपूर्ति वाले पेयजल में माइक्रोप्लास्टिक की मौजूदगी यह दर्शा रहा है कि पानी के स्रोतों तक प्रदूषण जारी है और प्रदूषण की रोकथाम करने वाली एजेंसियां इसे रोकने में विफल हैं।
टॉक्सिक लिंक की ताजा रिपोर्ट क्लीन ड्रिंकिंग वाटर : ए पाइप ड्रीम में बताया गया है कि गोवा के पाइप वाले नलों (टैप वाटर) से पानी में सूक्ष्म प्लास्टिक (माइक्रोप्लास्टिक) के कण भी मौजूद हैं। यह अध्ययन मार्गो, पणजी, मापुसा, मार्सेल और कैनकोना के साथ गोवा के वाट ट्रीटमेंट प्लांट के नमूनों पर आधारित है। इन सभी जगहों के नमूनों में माइक्रोप्लास्टिक मिला है। माइक्रोप्लास्टिक ऐसे प्लास्टिक कण हैं जो 5 मिलीमीटर से भी कम आकार के होते हैं। इन्हें नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। दुनियाभर में समुद्रों के पारिस्थितिकी के लिए इसे एक बड़ा प्रदूषक और खतरा माना जा रहा है। पीओपी और अन्य हाइड्रोफोबिक प्रदूषक, भारी धातु और रोगाणु जीवों के साथ यह भी एक बड़ा खतरा है।

नमूनों में सबसे ज्यादा माइक्रोप्लास्टिक का स्तर गोवा के मापुसा में पाया गया, इसके बाद मार्सेल, फिर ओपा और मार्गो व पणजी, ओसोनोरा, कोनकोना और फिर सलाउलिम में मिला है। टॉक्सिल लिंक की रिसर्चर प्रीती महेश कहती हैं कि यह एक गंभीर चिंता का विषय है। इन सूक्ष्म प्लास्टिक कणों का मानवों की सेहत पर बेहद प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। टैप वाटर में आने वाले माइक्रोप्लास्टिक को मानव की इंद्रिया नहीं जान सकती हैं। और संभव है कि वह इसे पी लेती हों। पानी के नमूनों की जांच गोवा स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओसिनोग्राफी (एनआईओ) ने किया है। इस अध्ययन के मुख्य शोधार्थी डॉ महुआ साहा (एनआईओ) ने कहा कि गोवा में पानी का मुख्य स्रोत नदियां हैं। वहीं शोधन से पहले ही कुछ नमूनों में माइक्रोप्लास्टिक की मौजूदगी मिली है जो यह दर्शाता है कि नदियों में ही माइक्रोप्लास्टिक मौजूद है। इससे यह भी अंदाजा मिलता है कि प्लास्टिक प्रदूषण जारी है और वह सीधा नदियों और पानी के मुख्य स्रोतों में पहुंच रहा है। नमूनों में जो माइक्रोप्लास्टिक मिले हैं उनका आकार < 20 μm से 1000 μ तक पाया गया। हालांकि 100 μ से छोटे माइक्रोप्लास्टिक सर्वाधिक हैं। पानी नमूनों में सबसे ज्यादा प्लास्टिक फाइबर के कण पाए गए। अध्ययन में यह भी पाया गया है कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के मुकाबले टैप वाटर के नमूनों में माइक्रोप्लास्टिक के कण अधिक मिले हैं, जिसका कारण यह हो सकता है कि शोधित जल पीवीसी पाइपों के जरिए आपूर्ति किया गया हो।

टिड्डियों के हमले से फसलों को नुकसान

भारत में 2019-20 और 2020-21 के दौरान टिड्डियों के हमलों की जानकारी मिली थी, जो कि बहुत बड़े पैमाने पर टिड्डियों के झुंड का उदाहरण हैं। 26 साल के अंतराल के बाद टिड्डियों का इतना बड़ा झुंड भारत में देखा गया। 2019-20 के दौरान, तीन राज्यों, राजस्थान, गुजरात और पंजाब में टिड्डियों की घुसपैठ की सूचना मिली थी, जबकि 2020-21 में, दस राज्यों, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में टिड्डियों की घुसपैठ की जानकारी मिली। यह आज कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्यसभा में बताया।

राज्यसभा में पेश आंकड़ों के मुताबिक पंजाब, गुजरात, बिहार और छत्तीसगढ़ में टिड्डियों के हमले से फसल को कोई नुकसान नहीं हुआ है। आंकड़ों से पता चलता है कि राजस्थान में 489.72 हेक्टेयर में 33 फीसदी से अधिक, मध्य प्रदेश में 4400 हेक्टेयर में 10-15 फीसदी और महाराष्ट्र में 805.80 हेक्टेयर में 33 फीसदी से कम फसल का नुकसान हुआ है।

E ZONE CARE

Software Problem, Motherboard Chip-Level Repair, Laptop AC Adapter Repair and Replacement, Laptop LCD Screens Repair and Replacement, Dead Laptop Problems, No Display Problem, LCD Dim Display Problem, LCD White Display Problem, BIOS Password Problem, all type of Laptop repair and service

• **Repair your laptop with 3-month warranty.**

info@ezonecare.in, ezonecare.in
Rospa Tower 3RD Floor, Main Road, Ranchi
93108 96575, 70047 69511
Mon - Fri 10:30 am - 7:00 pm
SUNDAY CLOSED

लाल कानों वाला विदेशी कछुआ बना देशी नस्लों के लिये खतरा

के.ए. शाजी

रेड इयर्ड स्लाइडर या लाल कान वाले कछुए कई घरों के बैठक की शोभा बढ़ाते दिख जाते हैं। पहले एक्वेरियम में अक्सर दिखने वाला यह कछुआ अब भारत के जलस्रोतों तक पहुंच गया है। बाहर की नस्ल का यह कछुआ स्थानीय प्रजाति के लिए खतरा है। इस खतरे से अनजान है कछुआ रखने के शौकीन लोग। इसको लेकर कम जानकारी और लचीले कानून की वजह से इस विदेशी नस्ल के कछुए का खतरा दिनोंदिन बढ़ता ही जा रहा है।

जलस्रोतों में इस कछुए की घुसपैठ की वजह से भारत में साफ पानी में पाए जाने वाले 29 स्थानीय प्रजाति के कछुओं को खतरा है। खूबसूरत दिखने वाले लाल कान वाले कछुए का मूल मिसिसिपी नदी और मेक्सिको की खाड़ी को माना जाता है। वर्ष 1989 और 1997 में यहां के किसान ने अवैध रूप से अमेरिका से इस कछुए का निर्यात किया। भारत में भी यह इसी रास्ते अवैध तरीके से आया। तकरीबन तीन महीने पहले केरल के थ्रीसुर में छठवीं कक्षा में पढ़ने वाला आदिथ्यान डी ताम्बी को मछली पकड़ने के प्रयास में एक खूबसूरत कछुआ हाथ लग गया। घर जाते ही कछुए की तस्वीर उतारकर उस बच्चे ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। इस पोस्ट पर केरल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट (केएफआरआई) के वैज्ञानिक संदीप दास की नजर गई। उन्होंने पाया कि यह कछुआ रेड इयर्ड स्लाइडर प्रजाति का है। वैसे तो यह विदेशी नस्ल का है पर धीरे-धीरे इसका विस्तार भारत में भी होता जा रहा है। यहां के साफ पानी में इस कछुए का पाया जाना जैव-विविधता के लिए भी खतरा है। दास ने ताम्बी को समझाया कि इसे वापस नाले में छोड़ने की गलती न करे। केरल में करीब 19 लाल कान वाले कछुए को राज्य के अलग-अलग हिस्से से लाकर केएफआरआई के सेंटर फॉर बायोलॉजिकल इनवेजन (एनसीबीआई) में अध्ययन किया गया।

रेड इयर्ड स्लाइडर के नाम से मशहूर यह एक खूबसूरत दिखने वाले जीव है। इसकी रंग की वजह से लोग इसकी तरफ काफी आकर्षित होते हैं। इसी वजह से कछुआ पालने के शौकीन लोगों में इसकी मांग बढ़ती जा रही है। पर जब ये कछुए बड़े हो जाते हैं तो इनका ख्याल रखना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में देखा गया है कि कछुआ पालने वाले इसे नदी-नाले या किसी और जलस्रोत में छोड़ आते हैं। यहीं से स्थानीय जैव-विविधता और प्रकृति को नुकसान होने की शुरुआत होती है। केएफआरआई के वैज्ञानिक टीवी संजीव बताते हैं कि बाहरी नस्ल के कछुए देश के जलस्रोतों में तेजी से बढ़ रहे हैं। यह समस्या विशेषकर दक्षिणी राज्य जैसे कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में अधिक है। संजीव केएफआरआई से प्रिंसिपल साइंटिस्ट के तौर पर जुड़े हैं। इस साल अप्रैल 2021 में कछुओं के कई जोड़ों को केरल के मुन्नार में चार लोगों के पास से बरामद किया। इनलोगों बताया कि बैंगलुरु से लाकर इन कछुओं को स्थानीय लोगों को बेचना चाहते थे। ''करीब एक दशक से अधिक से केएफआरआई बाहरी नस्ल के ऊपर शोध कर रहा है और इसमें सबसे ताजा शोध कछुआ आधारित है। वन विभाग के साथ सक्रिय सहभागिता के साथ कछुओं को इकट्ठा कर उसके ऊपर शोध किया जा रहा है, भारतीय प्रजाति के कछुओं को इस कछुए की बढ़ती संख्या से खतरा है। एनसीबीआई ने इसी क्रम में अपनी ओर से एक सर्वे शुरू किया और रेड इयर्ड स्लाइडर को भारत के जलस्रोतों से निकालने का प्रयास शुरू किया। इस काम में सरकार की दूसरी संस्थाओं के साथ कई गैर-सरकारी संस्थाओं का साथ भी मिला है। केंद्रीय मंत्रालय को भी एनसीबीआई ने इस तरह के प्रयास कर कछुआ पालने वाले लोगों को इस नस्ल के कछुओं को पानी में न छोड़ने की अपील की है। इसके लिए बड़े स्तर पर प्रचार अभियान की जरूरत है।

रेड इयर्ड स्लाइडर या लाल कान वाला कछुआ, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गैरकानूनी तरीके से होने वाली, वन्यजीवों की तस्करी का हिस्सा है। देश में मुख्यत : चेन्नई और त्रिची एयरपोर्ट के जरिए यह भारत में लाया जाता रहा है। दिसंबर 2018 में कस्टम विभाग को दो तस्करी के मामलों को रोकने में सफलता मिली। दो अलग-अलग यात्री बैंकॉक से 7,200 कछुए के बच्चे लेकर आ रहे थे। एक साल बाद डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलीजेंस ने त्रिची एयरपोर्ट पर 4,500 लाल कान वाले कछुए बरामद किए थे।

अखबार के स्वामी सन कम्युनिकेशन के लिये प्रकाशक एवं मुद्रक मनोरंजन सिंह द्वारा मेसर्स डी. बी. कॉर्प लिमिटेड,प्लॉट नं535 एवं 1272 ललगुटवा पुलिस स्टेशन, रातू, रांची (झारखंड) से मुद्रित एवं सन कम्युनिकेशन,अपोजिट कब्रिस्तान गेट नं.-2,रातू रोड, रांची- 834001 (झारखंड) से प्रकाशित। संपादकः एम.के.शर्मा * (पी.आर.बी. अधिनियम के तहत खबरों के चयन के लिये उत्तरदायी)आर.एन.आइ. पंजीयन क्रमांक : JHAHIN/2019/78094, email:greenrevolt2019@gmail.com.☎ 0651-2283018, 8539978825, 8825374626. समस्त विवाद रांची न्यायालय के अधीन होंगे।